Q. कोविड-19 महामारी के मद्देनजर जैव चिकित्सा अपशिष्ट प्रबंधन की चुनौतियों पर चर्चा कीजिए और जैव चिकित्सा अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 की मुख्य विशेषताएं बताएं। साथ ही जैव चिकित्सा अपशिष्ट के प्रबंधन में विज्ञान और प्रौद्योगिकी की भूमिका का विश्लेषण कीजिए।

उत्तर केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) के अनुमान के अनुसार, मई, 2021 के दौरानकोविड-19 से संबंधित जैव चिकित्सा अपशिष्ट उत्पादन की औसत मात्रा लगभग 203 टन प्रति दिन है।

कोविड -19 संबंधित जैव चिकित्सा अपशिष्ट में: व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण (पीपीई), दस्ताने, फेस मास्क, हेड कवर, प्लास्टिक कवर, सिरिंज के साथ स्वास्थ्य देखभाल प्रदाताओं और रोगियों दोनों द्वारा उपयोग किए जाने वाले अन्य गियर और चिकित्सा उपकरण सम्मिलित हैं।

जैव चिकित्सा अपशिष्ट के स्रोत

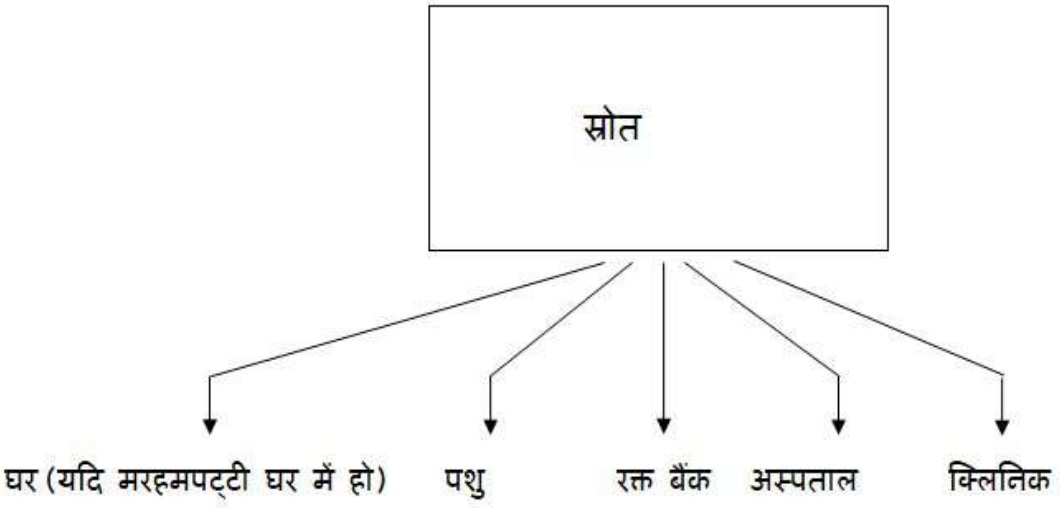

जैव चिकित्सा अपशिष्ट प्रबंधन की चुनौतियां

(1) स्वास्थ्य जोखिम

जैव चिकित्सा अपशिष्ट ने एक नवीन जैव चिकित्सा अपशिष्ट संकट उत्पन्न कर दिया है और स्वच्छता कार्यकर्ताओं और कचरा संग्रहकर्ताओं के लिए स्वास्थ्य जोखिम उत्पन्न कर रहा है।

(2) जैव चिकित्सा अपशिष्ट का पृथक्करण

चूंकि लोगों को इस संबंध में जानकारी नहीं है कि स्रोत स्थान पर अपशिष्ट को किस प्रकार पृथक किया जाएऔर यह बड़ी चिंता का विषय है

(3) विपुल मात्रा में उत्पन्न अपशिष्ट

केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) के आंकड़ों के अनुसार, जैव चिकित्सा अपशिष्ट का अधिकतम उत्पादन लगभग 250 टन प्रति दिन था

(4) उपचार सुविधाओं का असमान वितरण

भारत में देश भर में लगभग 200 सामान्य जैव चिकित्सा अपशिष्ट उपचारण सुविधाएं (सीबीडब्ल्यूटीएफ) हैं, किंतु वे मुंबई या दिल्ली जैसे कुछ शहरों/जिलों में स्थित हैं।

जैव चिकित्सा अपशिष्ट का अर्थ है कोई भी अपशिष्ट, जो मानव या पशुओं के निदान, उपचार या टीकाकरण के दौरान या उससे संबंधित अनुसंधान गतिविधियों में अथवा जैव चिकित्सा अपशिष्ट प्रबंधन नियमों,2016 (बीएमडब्ल्यू) की अनुसूची 1 में उल्लिखित श्रेणियों सहित जैविक के उत्पादन या परीक्षण में उत्पन्न होता है।

बीएमडब्ल्यू नियम, 2016 की मुख्य विशेषताएं

(a) टीकाकरण शिविरों, शल्य चिकित्सा सम्बन्धी शिविरों, रक्तदान शिविरों या किन्ही अन्य स्वास्थ्य गतिविधियों को सम्मिलित करने के लिए नियमों के दायरे का विस्तार।

(b) दो वर्ष के भीतर क्लोरीनयुक्त प्लास्टिक बैग, दस्ताने और रक्त बैग के उपयोग को समाप्त करना।

(c) प्रयोगशाला अपशिष्ट, सूक्ष्मजीवविज्ञानी अपशिष्ट, रक्त के नमूने और रक्त की थैलियों का कीटाणुशोधन के माध्यम से पूर्व-उपचार, या डब्ल्यूएचओ द्वारा निर्धारित विधि से स्थल पर रोगाणुनाशन।

(d) अपने सभी स्वास्थ्य देखभाल कर्मियों को प्रशिक्षण प्रदान करना और सभी स्वास्थ्य कर्मियों को नियमित रूप से प्रतिरक्षित करना।

(e) निस्तारण के लिए जैव चिकित्सा अपशिष्ट युक्त बैग या कंटेनर के लिए एक बार-कोड प्रणाली स्थापित करना।

(f) प्रमुख दुर्घटनाओं की सूचना देना।

(g) स्रोत पर कचरे के पृथक्करण में सुधार के लिए जैव चिकित्सा अपशिष्ट को 10 के बजाय 4 श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है।

(h) यदि कोई सामान्य जैव चिकित्सा अपशिष्ट उपचारण सुविधा पचहत्तर किलोमीटर की दूरी पर उपलब्ध है, तो कोई भी अधिभोगी स्थल पर उपचारण और निस्तारण सुविधा स्थापित नहीं करेगा।

जैव चिकित्सा अपशिष्ट प्रबंधन में विज्ञान और प्रौद्योगिकी की भूमिका

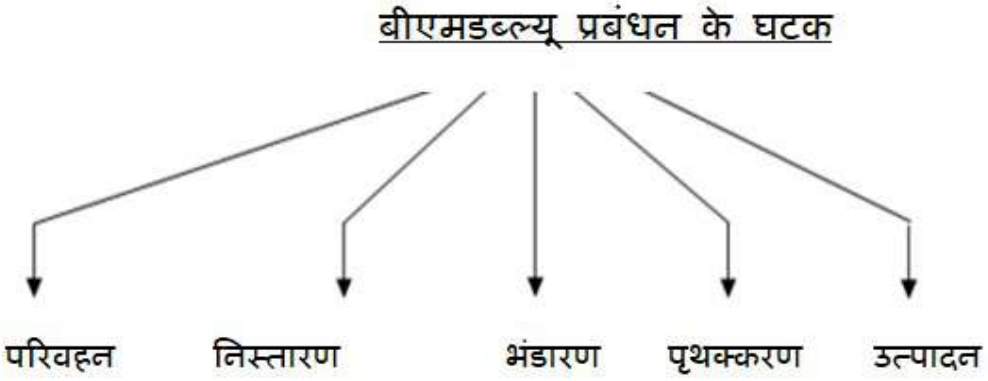

(1) रोबोट के उपयोग

जैव चिकित्सा अपशिष्ट (बीएमडब्ल्यू) और इसकी संक्रामक प्रकृति का पृथक्करण अपशिष्ट प्रबंधन में एक बड़ी चुनौती है। पृथक्करण के लिए रोबोट का उपयोग पथ-प्रदर्शक हो सकता है

(2) बीएमडब्ल्यू के प्रभावी प्रबंधन के लिए सामान्य जैव चिकित्सा अपशिष्ट उपचार सुविधा में जीपीएस और बार-कोडिंग सुविधा स्थापित करना।

(3) रासायनिक कीटाणुशोधन

यह तरल संक्रामक अपशिष्ट के लिए पसंदीदा उपचार है

(4) गैस/वाष्प रोगाणुनाशन

गैस/वाष्प रोगाणुनाशन रोगाणुनाशक कारकों के रूप में गैसीय या वाष्पीकृत रसायनों का उपयोग करता है। एथिलीन ऑक्साइड सर्वाधिक उपयोग किए जाने वाला कारक है।

(5) ऊष्मीय निष्क्रियकरण

इसमें अपशिष्ट के संक्रमण कारकों को समाप्त करने के लिए उच्च तापमान युक्त उपचारण सम्मिलित है।

(6) भस्मीकरण

इसे वहां प्रदान किया जाता है जहां तापमान में वृद्धि के कारण शुष्क ऑक्सीकरण होता है।

(7) आटोक्लेव

आटोक्लेव वे बंद कक्ष होते हैं जो ऊष्मा और दबाव दोनों का प्रयोग करते हैं, और कभी-कभी चिकित्सा उपकरणों को रोगाणु रहित करने के लिए समय की एक विशेष अवधि में वाष्प का प्रयोग करते हैं।

18 वर्ष की आयु से ऊपर के सभी व्यक्तियों के लिए टीकाकरण अभियान प्रारंभ होने और आने वाले समय में कोविड -19 की तीसरी लहर की संभावना के साथ जैव चिकित्सा अपशिष्ट में कई गुना वृद्धि हो सकती है। जैव चिकित्सा अपशिष्ट प्रबंधन प्रभावी रूप से प्रबंधन के लिए अपशिष्ट पृथक्करण, नवाचार प्रवर्तन, चूक के विरुद्ध कठोर कार्रवाई और कृत्रिम बुद्धि के उपयोग के बारे में उचित जागरूकता सुनिश्चित करना समय की आवश्यकता है।

Q. बिहार में महिलाओं की स्थिति की चर्चा कीजिए। बिहार सरकार द्वारा महिला सशक्तिकरण की दिशा में उठाए गए विभिन्न उपायों की चर्चा कीजिए।

उत्तर:- यूएनडीपी ने लैंगिक असमानता के लिए अपनी नवीनतम रिपोर्ट में पाया है कि महामारी से महिलाओं को पुरुषों की तुलना में अधिक आघात पहुंचा है और पुरुषों की तुलना में अत्यधिक निर्धनता में रहने की संभावना 25% अधिक है।

बिहार में महिलाओं की स्थिति

(1) निरक्षरता दर

ऑक्सफैम इंडिया "मैपिंग इनिक्वालिटी इन बिहार" की एक रिपोर्ट के अनुसार, लगभग आधी (40%) महिलाएं निरक्षर हैं।

(2) बाल विवाह

राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण (V) (एनएफएचएस-V) 2019-20 के अनुसार, 20-24 वर्ष की आयु की 40-8% महिलाओं का विवाह 18 वर्ष की आयु के पूर्व भी कर दिया जाता है।

(3) उच्च मातृ मृत्यु अनुपात (एमएमआर)

एमएमआर प्रति 1,00,000 जीवित जन्मों पर मातृ मृत्यु की संख्या है। एनएफएचएस-IV के अनुसार, बिहार में एमएमआर अभी भी राष्ट्रीय दर 130 से अधिक है।

(4) उच्च प्रजनन दर

एनएफएचएस-IV के अनुसार, बिहार की प्रजनन दर 3.0 है जो 2.1 की प्रतिस्थापन दर से काफी अधिक है।

(5) अल्प महिला श्रम बल सहभागिता

बिहार में महिला श्रम बल की सहभागिता देश में न्यूनतम है, जिसमें शहरी क्षेत्रों में मात्र 6.4% महिलाएं और ग्रामीण क्षेत्रों में 3.9% कार्यरत हैं।

बिहार सरकार ने इन लैंगिक अंतरालों को समाप्त करने के एक प्रयास के रूप में अनेक योजनाएं और नीतियां आरंभ की हैं:-

(1) मुख्यमंत्री नारी शक्ति योजना

अपराधों के विरुद्ध सार्वजनिक रूप से महिलाओं और बालिकाओं की सुरक्षा हेतु।

(2) मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना

बालिकाओं के सर्वांगीण विकास को सुनिश्चित करने हेतु।

(3) महिलाओं के लिए सकारात्मक कार्रवाई

2006 में पंचायती राज संस्थाओं और शहरी स्थानीय सरकारी निकायों के सभी स्तरों में महिलाओं के लिए 50% आरक्षण आरंभ करने वाला बिहार, भारत काप्रथम राज्य था।

(4) सार्वजनिक नियोजन में आरक्षण

पुलिस सेवाओं सहित सभी सार्वजनिक सेवा नियोजनों में में से 35 प्रतिशत स्थान महिलाओं के लिए आरक्षित थे।

(5) लिंग आधारित बजट निर्माण

बिहार भी 2008-09 वित्तीय वर्ष में लिंग आधारित बजट निर्माण प्रथाओं को अपनाने वाले देश के आरंभिक राज्यों में से एक है। आर्थिक सर्वेक्षण (2019-20) में प्रकाशित नवीनतम जेंडर बजट सार से ज्ञात होता है 2015-16 में गिरावट के पश्चात प्रत्येक वर्ष बजट में महिलाओं के लिए कुल कोष आवंटन में वृद्धि हुई है।

(6) उद्यमिता योजना

सरकार ने एक महिला उद्यमिता प्रोत्साहन प्रारंभ किया है, जिसके अंतर्गत महिलाओं को व्यवसाय स्थापित करने में सहायता करने के लिए 10 लाख रुपये तक की वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी।

(7) मुख्यमंत्री बालिका साइकिल योजना 2007 में आरंभ हुई और छात्राओं के लिए मुख्यमंत्री बालिका प्रोत्साहन योजना लिए बिहार की न केवल दुनिया भर में सराहना की गई, बल्कि व्यापक पैमाने पर विद्यालय में छात्राओं के नामांकन का मार्ग भी प्रशस्त किया।

(8) सभी अभियांत्रिकी एवं चिकित्सा महाविद्यालयों में प्रवेश में महिलाओं के लिए 33.3% आरक्षण की व्यवस्था की गई।

(9) सात निश्चय 2.0 'सशक्त महिला-सक्षम महिला' के संकल्प पर केंद्रित है।

महिला सशक्तिकरण नैतिक चक्र

यद्यपि विभिन्न महिला विशिष्ट योजनाएं और राजनीति तथा सार्वजनिक नियोजन में महिलाओं के लिए आरक्षण एक अधिक लैंगिक न्यायपूर्ण समाज की दिशा में एक कदम है। महिलाओं के लिए समान स्तर को सीमित करने वाले अंतर्निहित सामाजिक मानदंडों को संबोधित करने के लिए हमें संरचनात्मक सुधारों की आवश्यकता है। राज्य को 'आधे हम, आधा हमारा' के स्वप्न को साकार करने और एसडीजी लक्ष्य -5 अर्थात लैंगिक समानता प्राप्त करने हेतु अभी मीलों दूर जाना है।

प्रश्न. **शस्य विविधता को प्रोत्साहित करने के लिए, केंद्र सरकार ने धान, दलहन और तिलहन के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) में वृद्धि की है। एमएसपी की संस्तुति करने वाले कारकों पर चर्चा कीजिए एवं भारत में न्यूनतम समर्थन मूल्य व्यवस्था से जुड़े लाभ और चुनौतियों का संक्षिप्त विश्लेषण कीजिए।**

उत्तर: एमएसपीवह न्यूनतम मूल्य है जो सरकार अधिप्राप्ति के समय कृषकों की उपज के लिए भुगतान करती है। इसका उद्देश्य फसलों को बाजार में कीमतों के उतार-चढ़ाव से सुरक्षित करना है।

वे कृषि लागत मूल्य आयोग (सीएसीपी) द्वारा अनुशंसित हैं और आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति द्वारा अनुमोदित हैं।

एमएसपी की संस्तुति के लिए कारक

1. कृषि की लागत सहित किसी वस्तु के लिए एमएसपी की संस्तुति करते समय सीएसीपी विभिन्न कारकों पर विचार करता है।
2. यह कमोडिटी बाजार के लिए मांग एवं आपूर्ति की स्थिति, मूल्य प्रवृत्ति (घरेलू और वैश्विक) तथा अन्य फसलों के साथ समानता, और उपभोक्ता पर प्रभाव (मुद्रास्फीति), पर्यावरण (मृदा जल का उपयोग) कृषि एवं गैर-कृषि क्षेत्र के मध्य व्यापार की शर्तों और का ध्यान रखता है।

एमएसपी द्वारा प्रस्तुत की गई अनेक चुनौतियों के बावजूद, यह निम्नलिखित पहलुओं में लाभप्रद सिद्ध हुआ है: -

1. ग्रामीण क्षेत्रों में आय को स्थानांतरित करने और कृषि मुद्रास्फीति का प्रतिरोध करने के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य प्रणाली लाभप्रद सिद्ध हुई है।
2. इसने देश में प्राकृतिक आपदा से उत्पन्न कृषि संकट का प्रतिरोध किया है।
3. यह सुनिश्चित करता है कि देश का कृषि उत्पादन अपने उपभोक्ताओं की बदलती आवश्यकताओं के अनुरूप हो।

   उदाहरण के लिए, शस्य विविधता को प्रोत्साहित करने के लिए, केंद्र सरकार ने दलहन तिलहन के एमएसपी में वृद्धि की है

4. एक विशिष्ट खाद्य फसल के उत्पादन को प्रोत्साहित करनाजिसकी आपूर्ति कम मात्रा में हो।

एमएसपी प्रणाली से संबंधित समस्याएं और चुनौतियां-

1. **<u>एमएसपी की स्थिर दरें</u>-**

   यद्यपि एमएसपी की घोषणा प्रत्येक वर्ष की जाती है, किंतु,उत्पादन की लागत में वृद्धि के अनुपात में इसमें वृद्धि नहीं होती है।

2. **<u>असमान पहुंच</u>-**

   योजना का लाभ सभी फसलों के लिए सभी किसानों तक नहीं पहुंच पाता है। उत्तर-पूर्वी क्षेत्र जैसे कई क्षेत्र हैंजहां कार्यान्वयन अत्यधिक मंद है।

3. **<u>विकृत शस्य प्रतिरूप</u>-**

   एमएसपी में शस्य प्रतिरूप विकृत है। एमएसपी के परिणामस्वरूप पंजाब और हरियाणा में चावल जैसी फसलें उगाई जा रही हैं जो इसकी कृषि के लिए उपयुक्त नहीं हैं।

4. **<u>पर्यावरणीय मुद्दे</u>-**

   मृदा स्वास्थ्य पर कुप्रभाव पड़ता है और इसके परिणामस्वरूप भूजल के अत्यधिक दोहन, क्षारीयता आदि जैसी समस्याएं उत्पन्न होती हैं और दीर्घावधि में उत्पादकता घट जाती है।

5. **<u>प्रतिस्पर्धाका हनन</u>-**

   सरकार द्वारा किसी भी हस्तक्षेप से प्रतिस्पर्धा का हनन होता है।

6. **<u>विश्व व्यापार संगठन में मुद्दे</u>-**

   किसी भी फसल के लिए भारत की एमएसपी योजना को विश्व व्यापार संगठन में अनेक देशों द्वारा चुनौती दी गई है। उदाहरण के लिए, ऑस्ट्रेलिया ने गेहूं के लिए एमएसपी के संबंध में शिकायत की है तथा यूएस और ईयू ने गन्ना और दालों के लिए एमएसपी के संबंध में शिकायत की है।

7. **<u>बढ़ता हुआ सरकारी व्यय</u>-**

एमएसपी ने सरकार द्वारा खाद्यान्न अधिप्राप्ति की रखरखाव के लागत में वृद्धि कर दी है।

आगे की राह:-

1. शस्य विविधता के लाभों के बारे में किसान जागरूकता का उत्पादन पोषण सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए पौष्टिक भोज्य उत्पादों के उत्पादन की ओर स्थानांतरित होना है।
2. एमएसपी और उसके प्रावधानों में संशोधन की आवश्यकता है। दलहन जैसी अन्य फसलों का विविधीकरण किया जाना चाहिए।
3. कृषि अवसंरचना में सार्वजनिक निवेश में वृद्धि की जानी चाहिए।
4. ग्रामीण-गैर-कृषि क्षेत्रों को प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए।
5. एमएसपी के विकल्प के रूप में मूल्यह्रास भुगतान प्रणाली (नीति आयोग द्वारा अनुशंसित) को प्रोत्साहित करना चाहिए।
6. स्वामीनाथन एवं शांता कुमार समिति की रिपोर्ट के क्रियान्वयन की आवश्यकता है।

किसानों की आय बढ़ाने में मूल्य निर्धारण प्रणाली की अपनी सीमाएं हैं। उत्पादकता बढ़ाने, उच्च मूल्य वाली फसलों में विविधता लाने और लोगों को कृषि से बाहर उच्च उत्पादकता वाले रोजगार में स्थानांतरित करने में अधिक स्थायी समाधान निहित हैं।

प्रश्न. बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस अधिनियमए 2021 की विशेषताओं की चर्चा कीजिए। इसकी आवश्यकता क्यों हैघ यह किस प्रकार से राज्य के लोगों की नागरिक स्वतंत्रता पर गहरा असर करता है

<u>परिचय</u>:- बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस अधिनियमए 2021 मार्चए 2021 में लागू किया गया है। यह बंगाल सैन्य पुलिस अधिनियमए 1892 को प्रतिस्थापित करता है। नए अधिनियम का उद्देश्य बिहार सैन्य पुलिस (बीएमपी) को अच्छी तरह से प्रशिक्षित और विकसित करना है। केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल की तर्ज पर सशस्त्र पुलिस बल से लैस है।

<u>अधिनियम की विशेषताएं</u>:-

1) **बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस (बीएसएपी) -** बीएमपी का नाम बदलकर बीएसएपी कर दिया गया है और इसे राज्य के महत्वपूर्ण स्थानों और प्रतिष्ठानों पर सुरक्षा सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी सौंपी गई है।
2) **जनादेश:** अधिनियम की धारा 3 (1) में प्रावधान है कि सशस्त्र पुलिस सार्वजनिक व्यवस्था के रखरखावए उग्रवाद का मुकाबला करनेए निर्दिष्ट प्रतिष्ठान की बेहतर सुरक्षा और सुरक्षा सुनिश्चित करने और संशोधित रूप में ऐसे कर्तव्यों का पालन करने के लिए जिम्मेदार होगी।
3) **अधीक्षण कमान और प्रशासन:-** बीएसएपी की कमानए पर्यवेक्षण और प्रशासन बल के नियमित कार्यों के सुचारू निर्वहन के लिए पुलिस महानिदेशकए बिहार में निहित होगा। इसमें वरिष्ठ अधिकारियों के अलावा सिपाही से लेकर मुख्य निरीक्षक (सशस्त्र) तक के अधिकारी शामिल हैं
4) **वारंट के बिना गिरफ्तारी और तलाशी:-** अधिनियम की धारा 8 और 9 में संज्ञेय अपराधों की घटना को रोकने के लिए ऐसे अधिसूचित वादों के संरक्षण में लगे एसएपी अधिकारियों द्वारा वारंट के बिना तलाशी और गिरफ्तारी का प्रावधान है।

अधिनियम की आवश्यकता :- इस अधिनियम का उद्देश्य बिहार की विशेष सशस्त्र पुलिस को विकास संबंधी जरूरतों और सुरक्षा चिंताओं के लिए बहु-क्षेत्र विशेषज्ञता के साथ एक अच्छी तरह से प्रशिक्षित और पूरी तरह से सुसज्जित बल के रूप में विकसित करना है।

1) **महत्वपूर्ण प्रतिष्ठानों की सुरक्षा:-** बिहार औद्योगिकए पर्यटन और वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों की सुरक्षा की आवश्यकता के साथ एक तेजी से विकासशील राज्य है।

2017 मेंए बिहार सरकार ने दो सैन्य पुलिस बटालियनों को अर्थात सीईएसएफ की तर्ज पर राज्य उद्योग सुरक्षा बल1 और 2 अधिसूचित किया। फिलहाल बीएमपी को महाबोधि मंदिरए गया और दरभंगा एयरपोर्ट की सुरक्षा का जिम्मा सौंपा गया है।

2) **केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों (सीएपीएफ) पर बढ़ती निर्भरता:-** बिहार में तैनात सीएपीएफ की कंपनियों की संख्या 2010 से लगभग दोगुनी हो गई है। (2010 में 23 से 2020 में 45)। इससे राज्य के खजाने पर बोझ बढ़ता है। सशस्त्र पुलिस बल का संगठन राज्य पर निर्भरता को कम करेगा और आर्थिक बोझ को सबक देगा।

3) **पुराना कानून:-** सैन्य पुलिस बंगाल सैन्य पुलिस अधिनियमए 1892 द्वारा शासित होती है जबकि जिला पुलिस बिहार पुलिस अधिनियमए 2007 द्वारा शासित होती है। साथ हीए बंगालए ओडिशा जैसे राज्य जिनके बल अधिनियम के तहत शासित थेए उन्होंने पहले ही अपने कानूनों को अपडेट कर दिया है। .

4) **कार्य संस्कृति और पहचान:-** बिहार सैन्य पुलिस ने एक सदी से अधिक समय से कर्तव्य ढांचे और संगठनात्मक ढांचे के आधार पर एक अलग पहचान और कार्य संस्कृति विकसित की है। पहचान बनाए रखने और धारण के लिएय और अन्य राज्यों की सैन्य नीतियों जैसे उत्तर प्रदेशए मध्य प्रदेश राजस्थान आदि के साथ समानताए अधिनियम इस दिशा में सही कदम है।

5) **निवेश और रोजगार के अवसरों में वृद्धि :-** बेहतर कानून व्यवस्था की स्थिति के साथ निवेश के लिए एक अनुकूल वातावरण और बदले में रोजगार के बड़े अवसर पैदा करना। यह विशेष रूप से उपयोगी है क्योंकि सीएमआईई के आंकड़ों के अनुसार बिहार में बेरोजगारी दर लगभग 10: है।

<u>मुद्दे और चिंताएं</u>:- ऐसा प्रतीत होता है कि यह अधिनियम विकासशील राज्य की सुरक्षा चिंताओं और संगठित अपराध और चरम गतिविधियों में वृद्धि की ओर संबोधित करता है। हालांकिए आलोचकों का तर्क है कि इस अधिनियम का इस्तेमाल विपक्षी दलों के सदस्यों को लक्षित करनेए जनता की आवाज को दबाने और इस तरह विधेयक को कठोर करार देने के लिए किया जाएगा।

1. **पुलिस कर्मियों को पूर्ण शक्ति -** एक निर्दिष्ट रैंक से नीचे के पुलिस अधिकारी के पर विश्वास करने का कारण यह है कि अपराध किया गया है या किया जा रहा हैए

वह अधिनियम की धारा 7 के तहत वारंट के बिना गिरफ्तारी और तलाशी ले सकता है।

2. **पुलिस कर्मियों को सुरक्षा प्रदान करना:** अधिनियम की धारा 15 में कहा गया है कि यदि कोई विशेष सशस्त्र पुलिस अधिकारी कुछ अपवादों को छोड़कर किसी गंभीर मामले में शामिल है तो अदालत संज्ञान नहीं ले सकती है। अधिकारी के खिलाफ कार्यवाही शुरू करने के लिए वरिष्ठ अधिकारी की मंजूरी जरूरी है।
3. **क्षेत्र निर्दिष्ट नहीं:** सरकार के अनुसारए बिल केवल कुछ क्षेत्रों पर लागू होता है लेकिन न तो इसे निर्दिष्ट किया गया है और न ही जिस आधार पर इन स्थानों को अधिसूचित किया जा सकता हैए उसे सूचीबद्ध किया गया है।

<u>सरकार के प्रतिवाद</u>:- निम्नलिखित आधारों पर सरकार ने अधिनियम के प्रावधानों का बचाव किया है।

1) अधिनियम की धारा 28 (2) निर्दिष्ट करती है कि सीआरपीसीए 1973 के तहत तलाशी से संबंधित प्रावधानों का पालन किया जाएगा। इसलिए नागरिकों के अधिकारों की रक्षा की जाती है।
2) शक्तियों का दायरा बहुत सीमित है क्योंकि केवल अधिसूचित प्रतिष्ठान ही सशस्त्र पुलिस के दायरे में आते हैं।
3) ऐसी शक्तियां पहले से ही जिला पुलिस और केंद्र और अन्य राज्यों के सशस्त्र पुलिस बलों के पास हैं।
4) पुलिस बलों की सुरक्षा व्यापक नहीं है और आईपीसीए 1861 में उल्लिखित अपराध के तहत आने वाला कोई भी कार्य कानून के सामान्य नियमों का पालन करेगा।

निष्कर्ष-_दरअसलए बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस अधिनियम मौजूदा ढांचे में एक कमी दिखता है। लेकिन जैसा कि कहा जाता है कि शैतान विवरण और कार्यान्वयन में निहित रहता है। इसके आलोक में विवेकाधीन शक्ति का प्रयोग करते समय न्यायालय के निर्णयों तथा अन्य पर आधारित सिद्धांतों को ध्यान में रखा जाना चाहिए।

संविधान के अनुच्छेद 19 (1) और अनुच्छेद 21 के तहत प्रत्याभूत मौलिक अधिकारों की घोषणा करने वाले विभिन्न न्यायालय के निर्णयों को राज्य की सुरक्षा के नाम पर क्षीण या न्यून नहीं किया जाए।

द्वितीय एआरसी ने यह भी सिफारिश की कि बिना किसी समय सीमा के सरकार या वरिष्ठ अधिकारियों की पूर्व मंजूरी बिना नौकरशाही प्रथाएं सर्वोत्तम नहीं होती है।

प्रश्न उष्णकटिबंधीय चक्रवात क्या है? उष्ण कटिबंधीय चक्रवात के बनने की दशाओं की विवेचना कीजिए तथा उष्ण कटिबंधीय चक्रवात की संरचना की व्याख्या कीजिए। हाल के वर्ष में आए अम्फान चक्रवात के संदर्भ में, कारण पता चलता है कि बंगाल की खाड़ी में इतना अधिक चक्रवात क्यों उठते हैं?

उत्तर- उष्णकटिबंधीय चक्रवात एक प्रचंड तूफान होता है जो उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में महासागरों से उठते हैं और तटीय क्षेत्रों में मुड़ जाते हैं जो तेज हवा, बहुत भारी बारिश और तूफान की लहरों के कारण बड़े पैमाने पर विनाश लाता है।

यह सबसे विनाशकारी प्राकृतिक आपदाओं में से एक है। उन्हें हिंद महासागर में साइक्लोन, अटलांटिक में हरिकेन, पश्चिमी प्रशांत और दक्षिण चीन सागर में टाइफून और पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में विली-विली के रूप में जाना जाता है।

उष्ण कटिबंधीय तूफानों के उठने और तीव्र होने के लिए अनुकूल परिस्थितियाँ:-

1. 27°C से अधिक तापमान वाली बड़ी समुद्री सतह
2. कोरिओलिस बल की उपस्थिति
3. ऊर्ध्वाधर हवा की गति में छोटे बदलाव
4. पहले से मौजूद कमजोर और निम्न दबाव का क्षेत्र या निम्न स्तर का चक्रवाती परिसंचरण
5. समुद्र तल प्रणाली के ऊपर ऊपरी विचलन

तूफान को तेज करने वाली ऊर्जा तूफान के केंद्र के आसपास के विशाल क्यूम्यलोनिम्बस बादलों में संक्षेपण प्रक्रिया से आती है। समुद्र से नमी की

लगातार मिलने से तूफान और भी तेज हो जाता है। भूमि पर पहुंचने पर नमी रूक जाती है और तूफान के फैलने में पुन: लागू हो जाती है।

वह स्थान जहाँ से उष्णकटिबंधीय चक्रवात तट को पार करता है, उसे चक्रवात का लैंड फॉल कहा जाता है, जो आम तौर पर 20° उत्तरी अक्षांश को पार करता है, पीछे की ओर मुड़ जाता है और अधिक विध्वंशक हो जाता है।

उष्णकटिबंधीय चक्रवात की संरचना

एक उष्णकटिबंधीय चक्रवात की संरचना आम तौर आंख के हाशिये पर तेजी से बढ़ते वायु सर्पिल आकृति के वार्ड पर एक विशाल क्यूम्यलोनिम्बस बादल होती है।

उष्ण कटिबंधीय चक्रवात के निम्नलिखित भाग होते हैं:-

1. आँख
   - 'आंख' एक गंभीर उष्णकटिबंधीय चक्रवात के केंद्र में तुलनात्मक रूप से हल्की हवा और साफ मौसम का एक गोलाकार क्षेत्र होता है।
   - आँखों का आकार 8 किमी से लेकर 200 किमी से अधिक का होता है।
2. आँख की दीवार
   - आँख 'आँख की दीवार' से घिरी होती है जो गहरे संवहन के मोटे तौर पर गोलाकार वलय है, जो उष्णकटिबंधीय चक्रवात में उच्चतम सतही हवाओं का क्षेत्र है।
3. सर्पिल बैंड

- बादलों और गरज के घुमावदार बैंड जो आंखों की दीवार से सर्पिल आकार में पीछे होते हैं। ये बैंड भारी बारिश करने और हवा करने में सक्षम होते हैं।

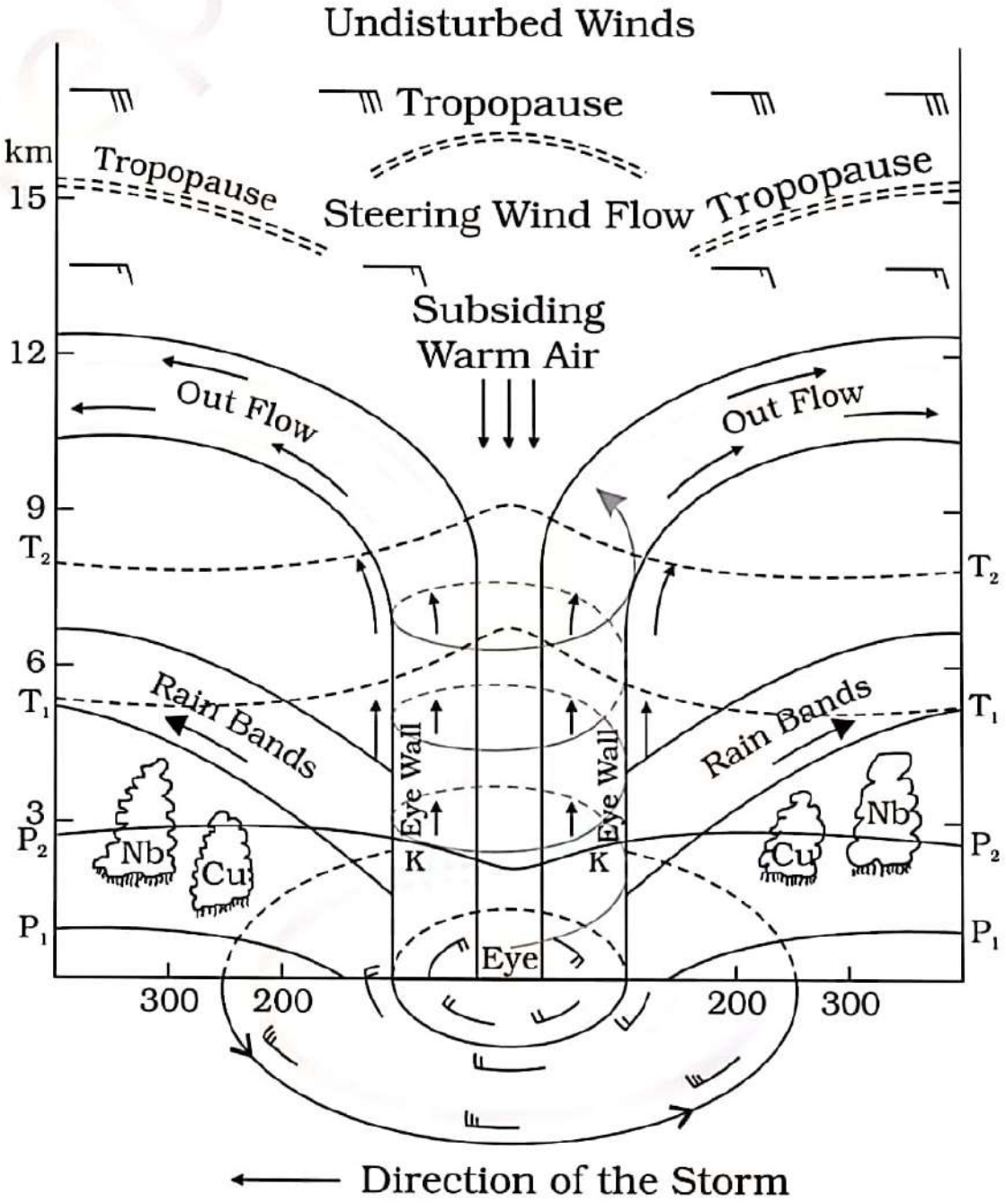

हाल ही में, चक्रवात 'यास' के कारण ओडिशा में बालासोर के दक्षिण में लैंडफॉल हुआ था, बंगाल की खाड़ी में बार-बार आने वाले चक्रवात का कारण।

1. बंगाल की खाड़ी में उच्च वर्षा के कारण उच्च आर्द्रता के साथ समुद्र की सतह का उच्च तापमान, अत्यधिक मजबूत चक्रवातों को सक्रिय करता है।
2. धीमी हवाएं। बंगाल की खाड़ी में गर्म हवा के प्रवाह के साथ तापमान अपेक्षाकृत अधिक रहता है।
3. गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों के ताजे पानी के निरंतर प्रवाह की आपूर्ति के कारण गर्म पानी के नीचे ठंडे पानी के साथ मिश्रण कर पाना असंभव हो जाता है
4. नदी से नमी की उपस्थिति और अरब सागर के विपरीत किसी बड़े भूभाग की अनुपस्थिति के कारण चक्रवाती हवा आसानी से बंगाल की खाड़ी में चली जाती है, जहां चक्रवात आमतौर पर पश्चिमी घाटों की उपस्थिति के कारण कमजोर पड़ जाते हैं।
5. मानसून के बाद के चरण में उत्तर-पश्चिमी भारत से खाड़ी की ओर हवा की आवाजाही का न होना भी बंगाल की खाड़ी में चक्रवात की संभावना का एक अन्य कारण है।
6. बंगाल की खाड़ी एक गर्त के आकार की है जिससे तूफानों को बल प्राप्त करने के लिए और अधिक उपयुक्त बनाती है।

हालांकि उष्णकटिबंधीय चक्रवात दुनिया भर में अपेक्षाकृत स्थिर और गर्म तापमान बनाए रखने में मदद करते हैं। लेकिन साथ ही यह संपत्ति और जीवन के बड़े विनाश का कारण बन जाता है। 'सेंदाई फ्रेमवर्क' की तर्ज पर बेहतर शहरी नियोजन समुदाय जागरूकता सहित

आपदा के लिए बेहतर तैयारी करना समय की आवश्यकता है। भारत द्वारा राष्ट्रीय चक्रवात जोखिम शमन परियोजना (एनसीआरएमपी) सही दिशा में एक सही कदम है।

प्रश्न:- मेगा फूड पार्क योजना क्या हैघ इसके लाभ और इससे जुड़े मुद्दों पर चर्चा करें। इससे बिहार को क्या फायदा होगा।

मेगा फूड पार्क की योजना का उद्देश्य किसानों, प्रक्रियाओं एवं खुदरा विक्रेता को एकसाथ लाकर कृषि उत्पाद को बाजार से जोड़ने के लिए एक तंत्र मुहैया करना है। ।

ताकि मूल्यवर्धन को अधिकतम करकेए अपव्यय को कम करना सुनिश्चित किया जा सके। किसान की आय बढ़ाना और ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसर पैदा करना।

संचालन करने का तरीका

1. मेगा फूड पार्क योजना "क्लस्टर" दृष्टिकोण पर आधारित है और अत्याधुनिक समर्थन बुनियादी ढांचे के निर्माण की परिकल्पना करता है।
2. यह प्राथमिक प्रसंस्करण केंद्रों (पीपीसीएस) और संग्रह केंद्रों (सीसीएस) और केंद्रीय प्रसंस्करण केंद्र (सीपीसी) में सामान्य सुविधाओं और सक्षम बुनियादी ढांचे के रूप में खेत के समीप प्राथमिक और भंडारण के लिए बुनियादी ढांचे का निर्माण करता है।

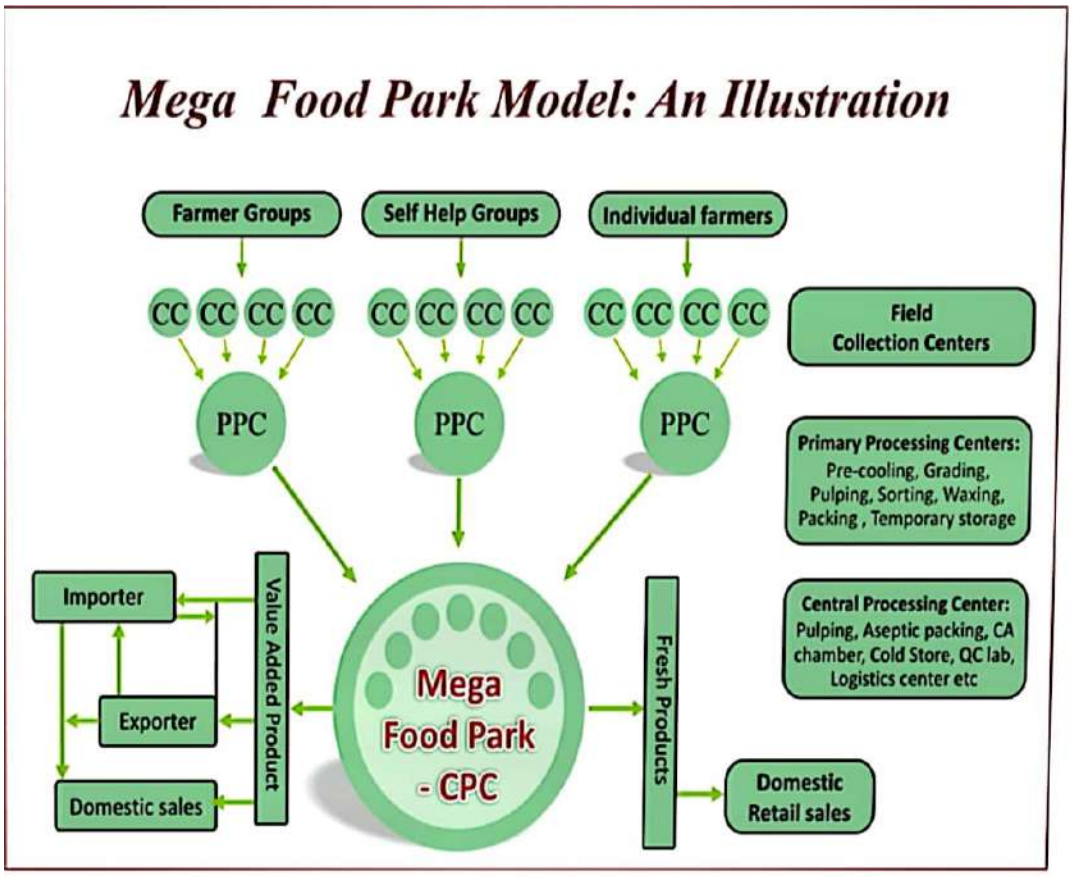

कार्यान्वयन

1. यह एक विशेष प्रयोजन वाहन (एसपीवी) द्वारा कार्यान्वित किया जाता है जो कंपनी अधिनियम के तहत पंजीकृत एक निगमित निकाय होता है।

योजना के लाभ

1. खाद्य प्रसंस्करण के लिए आधुनिक बुनियादी ढांचे से किसानों और प्रक्रियाओं को अत्यधिक लाभ होगा।
2. प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार सृजन के तहत स्थानीय आबादी को मदद मिलेगी
3. फार्म से सिधे रिटेल आउटलेट तक कुशल आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन प्रदान करना।
4. अपव्यय को न्यून करना

   आईसीएआर के अनुमान के अनुसारए 2016 में कृषि उपज की वार्षिक बर्बादी रु. 92,651 करोड़ था। मेगा फूड पार्क योजना इस बर्बादी को न्यून करने में मदद प्रदान करेगी।

5. ग्रामीण का शहरी प्रवास को कम करना

   विशेष रूप से कोविड -19 के युग में जहां देश ने ग्रामीण क्षेत्र की ओर से बड़े पैमाने पर पलायन देखा गया है। यह योजना ग्रामीण क्षेत्र में रोजगार का स्रोत प्रदान करेगी।

हालांकि मेगा फूड पार्क की सफलता के साथ कई मुद्दे भी हैं: -

1. भूमि अधिग्रहण के मुद्दे

   अधिकांश परियोजनाएं मुख्य रूप से भूमि अधिग्रहण में शामिल बाधाओं के कारण शुरू करने में विफल रही हैं।

2. वित्तीय मुद्दे

   मुख्य कारणों में से एक मेगा फूड पार्कों के लिए वित्त जुटाने में प्रमोटरों की विफलता रही है।

3. संचालन के मुद्दे

गैर-अनुमोदन और विभिन्न राज्य एजेंसियों के समन्वय के कारण अत्यधिक देरी।

हाल ही में केंद्र ने बिहार के मुजफ्फरपुर जिले के मोतीपुर में एक मेगा फूड पार्क स्थापित करने की घोषणा की। ऐसा ही एक पार्क खगड़िया में विकसित किया जा रहा हैए जिससे बिहार जिले को निम्न प्रकार से मदद मिलेगी:-

1. रोजगार सृजन

   मेगा फूड पार्क से स्थानीय क्षेत्र में अप्रत्यक्ष रोजगार उत्पन्न होगा। उदाहरण के लिए मोतीपुर में फूड पार्क में न्यूनतम 5000 रोजगार उत्पन्न करने की क्षमता है।

2. निवेश लाएगा

   मोतीपुर भाग में सामान्य ढांचे के बुनियादी ढांचे के विकास पर खर्च रु. 123 सीआर। इससे 400 करोड़ का अतिरिक्त निवेश आएगा।

3. एक अच्छी तरह से विकसित खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र जिसमें प्रसंस्करण का अधिक शौक है बर्बादी को न्युन करने में मदद करता है और मूल्यवर्धन में सुधार करता है। विविधीकरण को बढ़ावा देना और किसानों को बेहतर रिटर्न सुनिश्चित करना।

एक अनुमान के अनुसार मौजूदा समय में भारत की खाद्य खपत का मूल्य 370 बिलियन अमेरिकी डॉलर है और 2025 तक इसे 1 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुंचने की उम्मीद है।

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग का विकास आवश्यक है क्योंकि खर्च करने योग्य आय में वृद्धिए खाने के शौक में बदलाव और प्रसंस्कृत और पैकेज्ड भोजन के प्रति बदलती आहार प्राथमिकताएं हैं।

प्रश्न:- बिहार के शासन में मुख्यमंत्री की भूमिका को समझाए। वर्तमान मुख्यमंत्री के अधीन बिहार सरकार की गई पहल पर प्रकाश डालिए।

भारत गणराज्य में, एक मुख्यमंत्री (सीएम) प्रत्येक राज्य व कभी-कभी एक केंद्र शासित प्रदेश की सरकार का निर्वाचित प्रमुख होता है। संविधान का अनुच्छेद 163 इस पद के लिए प्रावधान किया है। एक वास्तविक कार्यकारी प्राधिकारी के रूप में, मुख्यमंत्री को सरकार का मुखिया कहा जाता है। उन्हें उनकी मंत्रिपरिषद द्वारा सहायता प्रदान की जाती है जो राज्य के राज्यपाल और महाधिवक्ता के साथ राज्य कार्यकारिणी का हिस्सा होते हैं।

किसी भी राज्य के मुख्यमंत्री के पास राज्य के विभिन्न अन्य अंगों/संस्थाओं संबंधित कई कार्य होते हैं। उन कार्यों (नीचे दिए गए) के अलावा, वह राज्य योजना बोर्ड की अध्यक्षता भी करते हैं तथा एक संकट प्रबंधक, सरकार के मुख्य प्रवक्ता, संबंधित क्षेत्रीय परिषद के उपाध्यक्ष, अंतर-राज्य परिषद और राष्ट्रीय विकास परिषद के सदस्य की भूमिका निभाते हैं।

मंत्रिपरिषद से संबंध

- वह राज्यपाल को सिफारिश करता है कि किसे मंत्रियों के रूप में नियुक्त किया जाए और विभागों का आवंटन किया जाए।
- वह किसी मंत्री से इस्तीफा देने के लिए कह सकता है।
- मंत्रिपरिषद की बैठक की अध्यक्षता उनके द्वारा की जाती है
- मंत्रियों की सभी गतिविधियाँ मुख्यमंत्री द्वारा निर्देशित और नियंत्रित होती हैं।
- अगर वह इस्तीफा देता है, तो पूरी मंत्रिपरिषद गिर जाती है।

राज्यपाल से संबंध

- मंत्रिपरिषद द्वारा ली जाने वाली सभी गतिविधियों, निर्णयों की सूचना मुख्यमंत्री द्वारा राज्यपाल को दी जाती है। (अनुच्छेद 167)
- राज्यपाल को रिपोर्ट करने के लिए, राज्यपाल द्वारा पूछे जाने पर प्रशासनिक मामलों के बारे में जानकारी देना।
- अगर किसी मंत्री ने किसी मुद्दे पर फैसला किया है, तो मुख्यमंत्री द्वारा राज्यपाल को इसकी सूचना दी जानी चाहिए, जब उस पर परिषद द्वारा विचार नहीं किया गया हो।
- वह राज्यपाल को निम्नलिखित व्यक्तियों की नियुक्ति के लिए अपनी सलाह देता है: महाधिवक्ता, राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष, राज्य चुनाव आयोग, राज्य सूचना आयोग आदि।

राज्य विधानमंडल से संबंध

- वह सदन का नेता है।
- राज्यपाल द्वारा राज्य विधायिका के सत्र का स्थगन और आहूत करने से पहले, मुख्यमंत्री की सलाह जरूरी होता है।
- राज्यपाल की सिफारिश पर विधान सभा किसी भी समय भंग की जा सकती है।
- सभी सरकारी नीतियों की घोषणा उनके द्वारा सदन के पटल पर की जाती है।

सरकार राज्य के लोगों की बेहतरी और आर्थिक समृद्धि के लिए नीतियां बनाती है। इस संबंध में सीएम की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। चूंकि वे मंत्रिपरिषद और स्थायी कार्यपालिका के मार्गदर्शक होते हैं, इसलिए उनकी दृष्टि नीतियों और विकास कार्यक्रमों और योजनाओं को प्राथमिकता देने में प्रमुख भूमिका निभाती है।

कार्यक्रम और पहल

1. **निषेध: -** राज्य नीति निदेशक तत्व (डीपीएसपी) के तहत अनुच्छेद 47 में सरकार से मादक पेय और नशीली दवाओं पर प्रतिबंध लगाने के लिए कहा गया है। यह

गांधीवादी दर्शन पर आधारित है। बिहार सरकार 2016 में इसी उद्देश्य के लिए शराबबंदी अधिनियम लाई थी।

2. **सात निश्चय: -** पानी और स्वच्छता, पक्की सड़कों, कौशल विकास और ऋण उपलब्धता जैसी बुनियादी सुविधाओं के बेहतर और सर्वांगीण विकास के लिए; सात निश्चय-I को 2015 में शुरू किया गया था। इसने अपने लक्ष्य का 80% से अधिक हासिल किया।

सात निश्चय- II को नवंबर 2020 में शुरूआत किया गया है। पिछले कि तुलना में यह एक प्राकृतिक विकास है। गुणवत्ता कौशल विकास संस्थानों पर ध्यान केंद्रित करता है, उद्यमिता, महिला शिक्षा, ग्रामीण और शहरी विकास, नवीकरणीय ऊर्जा, सीवरेज उपचार संयंत्र, बेहतर कनेक्टिविटी को प्रोत्साहित करना और स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच बनाना है।

3. **जल जीवन हरियाली**: - जलवायु परिवर्तन कृषि उत्पादकता को 10% तक कम कर सकता है। बिहार, एक कृषि राज्य होने के कारण और प्रति व्यक्ति आय कम होने से मानव निर्मित आपदा का वहन करने का खतरा बढ़ जाता है। शमन रणनीति के रूप में, पहल इसका उद्देश्य वन और वृक्षों आवरण को बढ़ाना और जलीय कृषि, कृषि-वानिकी आदि के क्षेत्र में रोजगार के अवसर को बढ़ाना है।
4. **बाल बजट:-** बच्चों के लिए बजट शुरू करने वाला बिहार तीसरा राज्य बन गया है। यह पहल आईएमआर, यू5एमआर, कुपोषण को कम करने और टीकाकरण का प्रोत्साहन, प्रारंभिक स्वस्थ विकास और स्कूली शिक्षा को बढ़ावा देने में मदद करेगी।
5. **हरित बजट: -** सरकार और अन्य अभिनेताओं को स्थिरता की पहल में योगदान करने के लिए प्रोत्साहन हेतु समन्वय, योजना और लक्षित खर्च के लिए हरित बजट विवरण का उपयोग एक साधन के रूप में किया जा सकता है। बिहार ने एक हरित बजट विवरण तैयार किया, जो कि अपनी तरह का पहला है। 2020 में देश में इस प्रकार का पहला जिसमें उसने राज्य विधायिका के समक्ष एक अलग और व्यापक हरित बजट पेश किया।
6. **आपदा जोखिम न्यूनीकरण पर रोड मैप**:-आपदा जोखिम न्यूनीकरण के लिए सेंदाइ फ्रेमवर्क की भावना का पालन करते हुए, बिहार आपदा-प्रवण क्षेत्रों में रहने वाले जोखिम वाले समुदायों के लचीलेपन का निर्माण करने के प्रयास में २०१५ में आपदा जोखिम न्यूनीकरण पर एक रोड मैप विकसित करने वाला पहला भारतीय राज्य था ।

7. **महिला सशक्तिकरण: -** सरकारी नौकरियों में महिलाओं के पक्ष में सकारात्मक कार्रवाई (35% आरक्षण), पंचायत (50% आरक्षण) और बालिका पोशक योजना, साइकिल योजना आदि न केवल ड्रॉप-आउट दरों को न सिर्फ कम करेगी बल्कि लैंगिक असमानता में कमी और आत्म निर्भर परिवार के साथ एक शिक्षित समाज को भी आगे ले जाएंगे जो बदले में राज्य के साथ-साथ देश के विकास की प्रक्रिया को तेज करेगा।
8. अवसंरचना विकास:- किसी भी कोने से राज्य की राजधानी तक यात्रा के समय को घटाकर 5 घंटे करने के लिए सीएम का विजन। इससे सड़क संपर्क में वृद्धि हुई और राज्य राजमार्गों और प्रमुख जिला सड़कों का दोहरीकरण हुआ। पटना में गंगा पर जेपी सेतु और कोसी महासेतु पर एक अतिरिक्त पुल आदि जैसे कई पुल पूरे हो चुके हैं और कई निर्माणाधीन हैं। औरंगाबाद से जयनगर तक बिहार का पहला एक्सप्रेसवे पाइपलाइन में है।
9. **इनोवेटिव गवर्नेंस :-** जनता दरबार, पीडीएस राशन के लिए कूपन, डिस्कॉम को युक्तिसंगत बनाना, लॉकडाउन के दौरान संकट में मजदूरों के लिए डीबीटी का उपयोग आदि जैसी पहलों की दुनिया के विभिन्न कोनों से सराहना की गई है और जनता के बीच लोकप्रियता हासिल की है।
10. **डिजिटल और ई-गवर्नेंस: -** स्वान (SWAN), सेकलान (secLAN), स्मार्ट मीटरिंग, विभिन्न उद्देश्यों के लिए ऐप और वेबसाइटों का विकास, आशा कार्यकर्ताओं को डिजिटल टैबलेट प्रदान करना आदि। ये सरकार और लोगों के बीच की खाई को कम करने के साथ-साथ शासन की दक्षता बढ़ाने में मदद करते हैं और खामियाँ कम होती है।

निष्कर्ष:- बिहार ने पिछले एक दशक में दो अंकों की वृद्धि दर्ज की है। फिर भी, 2019 में नीति आयोग की एक रिपोर्ट के अनुसार, बिहार बड़े राज्यों में सबसे अधिक 'बदहाल' और 'सबसे खराब' संकेतकों के साथ सबसे पीछे रहा। बिहार स्वास्थ्य, शिक्षा और रोजगार सहित कई क्षेत्रों में अच्छा प्रदर्शन नहीं कर रहा है। मुख्य मंत्री को विशेष ध्यान रखने की जरूरत है। मौजूदा कार्यकाल उनके लिए लोगों की उम्मीदों पर खरा उतरने और रोजगार के अवसर पैदा करने का सुनहरा अवसर है; एसईजेड (SEZs) बनाकर निवेश लाना; एक फिल्म सिटी विकसित करना; व्यावसायिक पर्यटन उद्योग; शिल्प आधारित पर्यटन को बढ़ावा देना और स्वास्थ्य और शिक्षा जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों को मजबूत करना है। इसके लिए वह बिहारी एनआरआई, सेवानिवृत्त नौकरशाहों, उद्योग जगत के विशेषज्ञों और चिकित्सा बिरादरी से मदद मांग सकते हैं।

Q. विधान परिषद की प्रासंगिकता को लेकर बार-बार प्रश्न किए उठाए जाते हैं। विधान परिषद की प्रासंगिकता का समालोचनात्मक विश्लेषण कीजिए। बिहार विधान परिषद की उपलब्धियों की भी चर्चा कीजिए।

उत्तर:- भारतीय संविधान का अनुच्छेद 169 राज्य विधान परिषदों के सृजन या उन्मूलन से संबंधित है। वर्तमान में, छह राज्यों में विधान परिषद हैं।

विधान परिषद की आवश्यकता :-

(1) विधान सभा द्वारा शीघ्रता में की गई कार्यवाहियों की पर नियंत्रण लगाने हेतु।

(2) नेताओं, प्रोफेसरों एवं अन्य व्यक्तियों की विधायी प्रक्रिया में भागीदारी सुनिश्चित करने की अनुमतिप्रदान करने के लिए जो निर्वाचन में भाग लेने से संकोच करते हैं।

(3) बेहतर और विस्तृत विचार विमर्श के उपरांत विधान निर्मित करनेहेतु।

(4) द्वितीय सदन की उपस्थिति से सदनों के मध्य अधिक परिचर्चा एवं कार्य सहभागिता सुनिश्चित होगी।

द्वितीय सदन होने के विरुद्ध तर्क

(1) **अनावश्यक विलंब**

यदि विधान परिषद और विधान सभा में दो अलग-अलग दल बहुमत में हैं, तो उच्च सदन महीनों तक अनावश्यक रूप से विधेयकों को पारित में विलंब करेगा। इस प्रकार इसकी भूमिका घृणास्पद और बाधक हो सकती है।

(2) **हारे हुए सदस्यों का पिछले दरवाजे से प्रवेश**

बुद्धिजीवियों को विधायिका में लाने के उच्च उद्देश्य को पूर्ण करने के बजाय, मंच का उपयोग दल के उन पदाधिकारियों को समायोजित करने के लिए किया जा सकता है जो निर्वाचित होने में विफल रहते हैं।

(3) **राजकोष पर अनावश्यक व्यय**

सत्ता पक्ष के हारे हुए प्रत्याशियों के लिए यह एक अनावश्यक विलासिता का साधन बन जाती है

(4) **निहित स्वार्थ**

विधान परिषद केवल उन लोगों के निहित स्वार्थों के किले के रूप में कार्य करती है, जो कानून में रुचि नहीं रखते हैं।

(5) **विधानसभा पर सीमित नियंत्रण**

विधान परिषदों की शक्ति सीमित है और विधानसभाओं पर शायद ही कोई प्रभावी नियंत्रण लगाती हो। चाहे कोई विधेयक परिषद द्वारा अनुमोदित हो या नहीं, विधानसभा चार महीने बाद भी सहमति दे सकती है।

(6) धन विधेयकों के संबंध में, मात्र चौदह दिन का विलंब विधान परिषद द्वारा किया जा सकता है, जो विधानसभा द्वारा पारित धन विधेयक के मार्ग में एक बाधा होने के बजाय कमोबेश एक औपचारिकता मात्र है।

विधान परिषद के पक्ष में तर्क:

(1) **शिक्षाविदों और बुद्धिजीवियों के लिए एक मंच**

विधान परिषद शिक्षाविदों और बुद्धिजीवियों के लिए एक मंच प्रदान करता है, जो निश्चित रूप से असभ्य एवं गिरी हुई चुनावी राजनीति के लिए उपयुक्त नहीं हैं।

(2) **अविचारी विधान को रोकना**

विधायिका का द्वितीय सदन लोकप्रिय निर्वाचित सदन द्वारा अविचारित कार्रवाई पर रोक लगाने की दृष्टि से महत्वपूर्ण माना जाता है। यदि दो सदन हैं, तो एक द्वारा पारित युक्तियों की दूसरे द्वारा सूक्ष्मता से जांच की जाएगी।

(3) निरंकुशता को रोकना

यह तर्क दिया जाता है कि द्वितीय सदन निम्न सदन की निरंकुश प्रवृत्तियों पर रोक लगाता है। मात्र एक लोकप्रिय निर्वाचित सदन में विधायी शक्तियों को निहित करना राज्य के निवासियों के लिए हानिकारक साबित हो सकता है, क्योंकि कानून स्वेच्छाचारी हो सकता है।

(4) व्यापक प्रतिनिधित्व

विभिन्न समुदायों और जातीय समूहों के सदस्य जिन्हें विधानसभा में नहीं भेजा जा सकता था, उन्हें पक्षपात के निमित्त परिषद में समायोजित किया जा सकता था।

(5) कार्यभार में कमी

एक आधुनिक कल्याणकारी राज्य के कार्यों में तीव्र वृद्धि के कारण, एक सदनीय विधायिका कार्य का निपटान नहीं कर सकती है और अधिनियमन के लिए उसके समक्ष लाए गए विधेयकों के प्रति पूर्णत: समर्पित नहीं हो सकती है। विधान परिषद निम्न सदन के भार को कम करता है और विधानसभा को व्यापक महत्व की युक्तियों पर पूर्णत: ध्यान केंद्रित करने में सक्षम बनाती है।

बिहार विधान परिषद का इतिहास गौरवशाली रहा है। अपने गठन के बाद से, इसने आज तक कई विकासात्मक कदमों की यात्रा को पूर्ण किया है।

बिहार विधान परिषद की उपलब्धियां

(1) बिहार विधान परिषद आरंभ से ही जनकल्याण की दिशा में पहल करती रही है। 1913 में नवगठित बिहार और उड़ीसा परिषद ने राजधानी को शैक्षिक सुविधाएं प्रदान करने के निमित्त नेतृत्व किया और सफलता प्राप्त की।

(2) यह परिषद ही थी जिसने 1921 में जिला पार्षदों को तिब्बी और आयुर्वेदिक औषधालय खोलने का आदेश दिया था।

(3) 22 नवंबर 1921 को प्रथम बार परिषद में महिलाओं के मताधिकार पर एक महत्वपूर्ण बहस हुई और जिसके परिणामस्वरूप महिलाओं को इस प्रकार के अधिकार प्राप्त हुए।

(4) बिहार विधान परिषद ने न केवल अपने गौरवशाली अतीत को अनुरक्षित रखा है बल्कि सार्थक संवादों और संसदीय हस्तक्षेपों के माध्यम से संसदीय राजनीति में विभिन्न नवीन आयाम भी जोड़े हैं।

(5) सामयिक सामाजिक और राजनीतिक मुद्दों जैसे संसदीय लोकतंत्र के संकट, भारतीय नदियों के भविष्य बिहार में बाल श्रम, खाद्य सुरक्षा, जादूगोड़ा में यूरेनियम विकिरण प्रभाव आदि पर सदन और संगोष्ठियों में विशेष बहस ने सरकार और संबंधित एजेंसियों को अनुकूल निर्णय लेने के लिए प्रेरित किया है।

(6) परिषद के हस्तक्षेप से बिहार राज्य बाल श्रम आयोग का गठन हुआ और राज्य में जादू टोना निवारण अधिनियम, 1999 पारित किया गया।

प्रातिनिधिक लोकतंत्र में द्वितीय सदन होना महत्वपूर्ण है। एक अधिक सफल लोकतंत्र के लिए द्विसदन पद्धति वयस्क मताधिकार से परे देखती है। इसलिए विधान परिषदें विचार-विमर्श के एक महत्वपूर्ण मंच के रूप में कार्य करती हैं।

प्रश्न:- भारत-म्यांमार के द्विपक्षीय संबंधों पर प्रकाश डालिए। म्यांमार में राजनीतिक अस्थिरता संबंधों को कैसे प्रभावित करेगी?

म्यांमार भारत की "पड़ोसी पहले" नीति और इसकी "पूर्व की ओर देखो" नीति के चौराहे पर बैठता है, म्यांमार भारत-प्रशांत में क्षेत्रीय कूटनीति के भारत के प्रयोग में एक आवश्यक तत्व है और दक्षिण एशिया और दक्षिण पूर्व एशिया को जोड़ने वाला एक भूमि पुल के रूप में कार्य करता है। 5 बी (B)- बौद्ध धर्म, व्यापार, बॉलीवुड, भरतनाट्यम, और बर्मा टीक- ये पांच बी (B) हैं जो 1951 में हस्ताक्षरित मैत्री संधि के बाद से लोकप्रिय कल्पना में भारत-म्यांमार संबंधों का निर्माण करते हैं।

तब से, संबंध ने भू-राजनीतिक, समुद्री, भूमि-सीमाओं, संचार आदि के लिए अधिक आर्थिक वजन और रणनीतिक अभिविन्यास प्राप्त किया है।

द्विपक्षीय संबंध: --

भू-राजनीतिक: - दोनों देश बिम्सटेक, मेकांग-गंगा सहयोग जैसे मंचों के सदस्य हैं। म्यांमार आसियान का सदस्य है, जिसके साथ भारत व्यापार और सेवा सहयोग बढ़ाना चाहता है। और म्यांमार को अगस्त 2008 में सार्क में पर्यवेक्षक का दर्जा दिया गया था। विशेष रूप से स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स सिद्धांत और बेल्ट एंड रोड पहल के बाद चीन को प्रतिकार करने के लिए बढ़ा हुआ सहयोग बहुत महत्वपूर्ण है।

आर्थिक विकास: - थाईलैंड, चीन और सिंगापुर के बाद भारत बर्मा का चौथा सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार है। थाईलैंड के बाद भारत बर्मा निर्यात के लिए दूसरा सबसे बड़ा निर्यात बाजार है, जिसमें ज्यादातर भारत में दालों और बीन्स का आयात होता है। म्यांमार में, भारत दसवां सबसे बड़ा निवेशक है। हिंद महासागर क्षेत्र में सभी क्षेत्रों (सागर) में सभी के लिए सुरक्षा और विकास की भारतीय नीति, भारत ने म्यांमार के रखाइन राज्य में सित्तवे बंदरगाह विकसित किया है।

बुनियादी अवसंरचना और कनेक्टिविटी: - 2001 में बीआरओ द्वारा निर्मित इंडो-म्यांमार मैत्री सड़क के साथ इसकी शुरुआत हुई। अब, बहु-राष्ट्रीय परियोजना भारत-म्यांमार-थाईलैंड त्रिपक्षीय राजमार्ग जो गुवाहाटी को थाईलैंड से जोड़ता है; और कोलकाता से आइजोल तक कलादान मल्टी-मोडल हाईवे जैसी बहु-मॉडल परियोजनाएं विकसित की जा रही हैं। यह उत्तर पूर्वी क्षेत्र में आर्थिक गतिविधियों, द्विपक्षीय व्यापार को बढ़ाएगा और यात्रा के समय को भी कम करेगा।

सुरक्षा सहयोग: - पूर्वोत्तर भारत में वामपंथी उग्रवाद और उग्रवाद की उपस्थिति और दोनों के बीच पोरस सीमा के कारण यह विशेष रूप से महत्वपूर्ण हो जाता है। भारतीय और म्यांमार सैनिकों ने 2019 में संयुक्त रूप से ऑपरेशन सनराइज और ऑपरेशन सनराइज 2 को अपने-अपने क्षेत्रों में कई विद्रोही शिविर तबाह करने के कार्य को अंजाम दिया।

दोनों पड़ोसियों ने 2017 से IMBAX (ईमबैक्स) नामक संयुक्त सैन्य अभ्यास भी किया। भारत ने म्यांमार की नौसेना को सैन्य आधुनिकीकरण के लिए अपनी पहली पनडुब्बी, एक किलो वर्ग (आईएनएस सिंधुवीर) की पनडुब्बी और रडार, रॉकेट लॉन्चर आदि जैसे अन्य सहायक उपकरण उपहार में दिए हैं।

ऊर्जा और अन्य परियोजनाएं: -ओएनजीसी विदेश लिमिटेड (ओवीएल), गेल और एस्सार म्यांमार में ऊर्जा क्षेत्र में भागीदार हैं। एनएचपीसी द्वारा चिंदविन नदी घाटी में तमंथी और श्वेज़े हाइड्रो-इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट विकसित किए जा रहे हैं। म्यांमार में मानव

संसाधन विकास के लिए म्यांमार-भारत उद्यमिता विकास केंद्र (MIEDC) आदि जैसे कुछ संस्थान और संगठन स्थापित किए गए हैं।

मानवीय राहत: - भारत ने चक्रवात मोरा (2017) जैसी प्राकृतिक आपदाओं के बाद मानवीय राहत कार्यों में म्यांमार की सहायता की है। ड्रग डिप्लोमेसी और "वैक्सीन मैत्री" के तहत, कोविड-19 महामारी से लड़ने के लिए एंटीवायरल रेमेडिसविर और वैक्सीन की 3,000 शीशियों का पैकेज प्रदान किया गया।

मानवीय राहत:- भारत ने चक्रवात मोरा (2017) जैसी प्राकृतिक आपदाओं के बाद मानवीय राहत कार्यों में म्यांमार की सहायता की है। ड्रग डिप्लोमेसी और "वैक्सीन मैत्री" के तहत, कोविड-19 महामारी से लड़ने के लिए एंटीवायरल रेमेडिसविर और वैक्सीन की इकमुश्त 3,000 शीशियों मुहैयै कराया गया।

<u>संबंधों में चुनौतियाँ:-</u>

चीन कारक: - बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव (बीआरआई) का हिस्सा का चीन-म्यांमार आर्थिक गलियारा (सीएमईसी) , चीन से 25% एफडीआई, चीन से 40% कर्ज सभी म्यांमार के श्रीलंका की तरफ जाने का एक अचूक मामला पेश करता है, अर्थात चीन का कर्ज जाल।

व्यापार: - दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार क्षमता से काफी नीचे है। इसका एक प्रमुख कारण अक्सर धीमी चाल से बुनियादी अवसंरचना परियोजनाओं की चलना है। दालों आदि के आयात पर प्रतिबंध आदि ने भी संबंधों को तनावपूर्ण बना दिया।

सुरक्षा: - रखाइन राज्य में संघर्ष उत्तर-पूर्व में उग्रवाद को बढ़ावा दे सकता है और इस प्रकार इस क्षेत्र में जीवन और आजीविका का नुकसान हो सकता है।

नए गार्ड के साथ बातचीत: - भारत को राजनीतिक उथल-पुथल के कारण लोकतांत्रिक रूप से चुनी गई सरकार के साथ-साथ सैन्य व्यवस्था "तत्माडॉ" दोनों के साथ अच्छे संबंध बनाए रखने पड़ेंगे। इसके लिए राजनयिक माध्यमों द्वारा ठीक प्रकार से संतुलन बनाए रखने की आवश्यकता है।

राजनीतिक अस्थिरता का प्रभाव :-

म्यांमार ऐसा है जो भारत का एकमात्र आसियान (ASEAN) पड़ोसी है। सांस्कृतिक, सुरक्षा, आर्थिक विकास पथ साझा करने के बावजूद; दोनों के बीच संबंध बहुत मधुर नहीं

रहे हैं। सैन्य शासन, रोहिंग्या प्रवासी संकट और अब सैन्य तख्तापलट ने संबंधों को परखा है।

रोहिंग्या मामला: - म्यांमार में लगभग 40,000 रोहिंग्या मुसलमानों की अंतर्वाह हुई और जिन्होंने धार्मिक उत्पीड़न से बचने के लिए भारत में शरण ली। भारत अपने संसाधनों पर भारी बोझ का सामना कर रहा है और कट्टरपंथी युवाओं के रूप में सुरक्षा खतरे की आशंका से शरणार्थियों के प्रत्यावर्तन पर जोर दे रहा है।

सैन्य तख्तापलट: - हाल ही में, म्यांमार की सेना ने देश के इतिहास में तीसरी बार-तख्तापलट में दक्षिण पूर्व एशियाई देश की सत्ता पर कब्जा कर लिया। एक साल के लिए राष्ट्रीय आपातकाल लगा दिया गया है। यह कदम कथित चुनावी अनियमितताओं और परिणामी संघर्ष लेकर आया है।

1. भारत ने बांग्लादेश को वहां शरण लेने वाले लगभग दस लाख रोहिंग्या शरणार्थियों के लिए सहायता प्रदान की। भारत द्वारा धार्मिक उत्पीड़न की आलोचना भारत के राजनयिक और 'सॉफ्ट पावर' के लाभ को समाप्त कर देगी। वहीं, भारत के लिए भी अपने ही पिछे में सुरक्षा का खतरा है।
2. चीन के अपने डिजाइन हैं और भारत के पड़ोसी देशों में सैन्य ठिकानों को विकसित करके भारत को घेरने का इरादा रखता है। पश्चिमी देशों द्वारा म्यांमार पर अपने नेतृत्व पर दबाव बनाने के लिए प्रतिबंध, उसे चीन के करीब धकेलता है।
3. रोहिंग्या मुद्दे ठंडे बस्ते में: म्यांमार में लोकतंत्र बहाल करने के किसी भी प्रयास के लिए आंग सान सू की का समर्थन करने की आवश्यकता होगी। हालाँकि, रोहिंग्या संकट पर उनकी चुप्पी के कारण, असहाय रोहिंग्या की दुर्दशा पीछे रह सकती है या आसानी से भुला दी जा सकती है।
4. सहयोग में कोई भी विराम द्विपक्षीय संबंधों के लिए हानिकारक होगा। वहीं, भारत सैन्य शासन का समर्थन नहीं कर सकता। इससे कैच-22 की स्थिति पैदा हो गई है। यह दक्षिण-पूर्व एशिया और आसियान देशों तक भारत की पहुंच को भी धीमा कर देगा।

<u>निष्कर्ष</u>: -भारत को यह महसूस करना चाहिए कि म्यांमार 2024 तक 5 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनने की अपनी महत्वाकांक्षा को पूरा करने और चीन को प्रतिकार करने और म्यांमार को अपने स्वयं के भू-रणनीतिक हित के हिस्से के रूप में एक स्थिर और

स्वायत्त देश के रूप में प्रबल होने में मदद करने के लिए सांस्कृतिक कूटनीति का उपयोग करने, कनेक्टिविटी बढ़ाने, तेजी से परियोजना विकास, पर्यटन, व्यवसाय (विशेष रूप से फार्मास्यूटिकल्स, स्वास्थ्य सेवा, परिवहन, खाद्य प्रसंस्करण, इस्पात, नवीकरणीय ऊर्जा, संचार) बॉलीवुडकआदि के माध्यम से लोगों से लोगों के बीच संपर्क बढ़ाने के लिए महत्वपूर्ण है।

प्रश्न. क्या आप इस बात से सहमत हैं कि भारतीय राजनीति आज एक उत्कीर्ण राजनीति के बजाय मुख्य रूप से विकास की राजनीति के इर्द-गिर्द घूमती है ? बिहार के संदर्भ में चर्चा कीजिए।

उत्तर भारत के आकार और विविधता के कारण भारत में चुनावी व्यवहार का अध्ययन एक चुनौतीपूर्ण कार्य है। लेकिन चुनावी प्रक्रिया का बारीकी से विश्लेषण करने पर यह कहा जा सकता है कि भारतीय राजनीति हाल के दिनों में विकास की राजनीति के इर्द-गिर्द घूम रही है।

इस दावे के पक्ष में तर्क

1. घोषणा पत्र में विकासात्मक मुद्दों को शामिल करना

भाजपा ने कृषि के लिए एक अलग किसान बजट का वादा किया और 2022 तक किसानों की आय को दोगुना करने का वादा किया था। भाजपा की 2025 तक भारत को 5 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था और 2023 तक तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाने की महत्वाकांक्षी योजना है। जबकी मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस एक खुली, उदार बाजार अर्थव्यवस्था का वादा किया है।

कांग्रेस ने सभी 4 लाख केंद्र सरकार और संस्थागत रिक्तियों को भरने का वादा किया है। इसी तरह के आर्थिक विकास के मुद्दों को 2004,2009,2014 में राजनीतिक दलों के घोषणापत्र में शामील किया गया था

2. दिल्ली में आप सरकार का फिर से चुनाव जहां स्वास्थ्य और शिक्षा के मुद्दे पर चुनाव प्रमुख रूप से लड़ा गया था।

3. सीएसडीएस लोक नीति के चुनाव के बाद के सर्वेक्षण में रोजगार मूल्य वृद्धि, गरीबी जैसे समग्र आर्थिक मुद्दे 25% मतदाताओं के लिए मजदूरी और वेतन आदि सबसे ज्यादा मायने रखते हैं। लोक फाउंडेशन द्वारा भारतीय मतदाताओं के सर्वेक्षण में 2014 आम चुनाव के बाद के सर्वेक्षण में भी इसी तरह की खोज हुई थी, उत्तरदाताओं में से 25% उत्तरदाताओं का आर्थिक विकास यह तय करने में उनका नंबर एक मुद्दा होगा कि किसे वोट देना है)

बिहार की राजनीति में भी ऐसा ही रुझान देखने को मिलता है जहां चुनावी मुद्दों में काफी बदलाव लाया गया है:-

1. हाल ही में संपन्न विधानसभा चुनाव में राजनीतिक दलों द्वारा उठाए गए प्रमुख मुद्दे आर्थिक मुद्दे थे। उदाहरण के लिए राजद के मेनिफेस्टो में युवाओं को 10 लाख रोजगार देने का संकल्प लिया। इसी तरह भाजपा ने राज्य में 19 लाख नौकरियों के सृजन का वादा किया है।
2. राजद ने 'पढ़ाई, कामयी, सिचाई, दवाई' के मूल विषय के आधार पर अपना चुनाव लड़ने की कोशिश की। जबकि एनडीए ने भी आर्थिक विकास के मुद्दों पर टिके रहने की कोशिश की।
3. 2020 के विधानसभा चुनाव में लोकनीति-सीएसडीएस द्वारा किए गए सर्वेक्षण के बाद पता चलता है कि 36% उत्तरदाताओं के लिए विकास सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा था, जबकि बेरोजगारी 20% के लिए और 11% प्रतिवादी के लिए मुद्रास्फीति थी, हालांकि, वर्णनात्मक राजनीति अभी भी देखी जाती है:

सियासत अब भी दिखती है

1. जाति आधारित दलों का उदय जैसे वीआईपी, राजद, लोजपा, जदयू आदि।

2. जाति और धर्म बिहार पर चुनावी व्यवहार के लिए प्रमुख दीर्घकालिक निर्धारक बने हुए हैं। सीएसडीएस-लोकनीति के चुनाव के बाद के सर्वेक्षण से जाति आधारित समेकन साक्ष्य में 83% यादव ने महागठबंधन को वोट दिया, जबकि 81% कुर्मी ने एनडीए को वोट दिया।

3. अभद्र भाषा, किसी विशेष समुदाय को लक्षित करने वाले सोशल मीडिया अभियान अभी भी देखे जाते हैं।

4. चुनाव पूर्व गठबंधन ज्यादातर जाति और धर्म के आधार पर होते हैं। उदाहरण के लिए 2015 में सत्ता में आए जदयू, राजद और कांग्रेस के महागठबंधन, इस जीत के पीछे जाति आधारित लामबंदी बड़ी वजह थी

5. हालिया विकास राजनीति में मतदान का व्यवहार महिलाओं की भागीदारी और पार्टियों के भाग्य का फैसला करने में महिला मतदाताओं की प्रमुख भूमिका है।

एक विकासशील लोकतांत्रिक राजनीतिक व्यवस्था के रूप में भारत की राजनीतिक व्यवस्था धीरे-धीरे भारतीय मतदाताओं को प्रशिक्षित कर रही है। हालाँकि भारत में मतदाताओं का व्यवहार आर्थिक कारकों के साथ-साथ धर्म, जाति, सामुदायिक भाषा आदि से प्रभावित होता है, जो धीरे-धीरे भारत में मतदाता पहचान और राजनीति से आगे बढ़ रहे हैं।

प्रश्न:- भारत में गठबंधन की राजनीति के उदय के मुख्य कारण क्या हैं? बिहार में गठबंधन सरकार की भूमिका की विवेचना कीजिए।

उत्तर: गठबंधन पार्टियों का एक गठजोड़ होता है जो संयुक्त रूप से चुनाव लड़ने और / या सरकार बनाने और साझा प्रक्रिया की कार्यविधि द्वारा शासन का प्रबंधन करने के उद्देश्य से बनाया गया है।

तो गठबंधन का अर्थ है राजनीतिक दलों के बीच सहयोग और चुनाव, संसदीय और सरकारी स्तर पर हल्का सहयोग हो सकता है।

1. **गठबंधन राजनीति के उदय के मुख्य कारण**- कांग्रेस प्रणाली का पतन 1970 के बाद से कांग्रेस प्रणाली का पतन हो रहा था अर्थात यह सभी तनावों और संघर्षों को अवशोषित करने की क्षमता खो रही थी।

2. **आपातकाल की घोषणा**-1975 में आपातकाल की घोषणा ने विपक्षी दलों को इकट्ठा किया। जनता पार्टी बनी और 1977 में सत्ता में आई।
3. **क्षेत्रीय दलों का उदय-** राज्यों के भाषाई पुनर्गठन, हरित क्रांति, संसदीय और राज्य विधायी चुनावों को जोड़ने से क्षेत्रीय दलों को स्थानीय मुद्दों पर लोगों को संगठित करने का अवसर मिला है।
4. **विशाल विविधता**- इसने विविध राजनीतिक प्राथमिकताओं को जन्म दिया है और कोई भी दल कार्यशील बहुमत हासिल करने में सक्षम नहीं था। इससे गठबंधन युग का उदय हुआ।
5. **राजनीतिक अवसरवाद और सत्ता के बंटवारे की व्यवस्था-** भारत के मामले में नकारात्मक गठबंधन का नियमित विशेषताएं रहा हैं। गठबंधन सरकार चलाने के लिए नहीं बल्कि किसी और को सत्ता में आने से रोकने के लिए बनाए गए हैं जैसे राकांपा, कांग्रेस और शिवसेना का था।

गठबंधन सरकार की विशेषता

1. एक गठबंधन सरकार निरंकुश शासन की संभावना को कम करती है। यह सरकार के कामकाज में एकल पार्टी के कम वर्चस्व के कारण होता है। गठबंधन के सभी सदस्य निर्णय में भाग लेते हैं
2. एक गठबंधन सरकार में विभिन्न राजनीतिक दल शामिल होते हैं जिनकी अपनी विचारधारा या एजेंडा होता है। लेकिन सरकार की नीति के लिए सभी गठबंधन सहयोगियों की सहमति की आवश्यकता होती है। इसलिए, एक गठबंधन सरकार सर्वसम्मति-आधारित राजनीति की ओर अग्रसर होती है।
3. गठबंधन की राजनीति भारतीय राजनीतिक व्यवस्था के संघीय ताने-बाने को मजबूत करती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि गठबंधन सरकार क्षेत्रीय मांगों के प्रति अधिक संवेदनशील और उत्तरदायी होती है।
4. गठबंधन सरकार प्रशासन में अधिक निरंतरता प्रदान करती है। राजनीति की सहमतिपूर्ण शैली भी प्रशासन के बीच नीति के अधिक क्रमिक और रचनात्मक बदलाव की अनुमति देती है

5. सरकार के कामकाज में विविध हितों का समावेश होगा क्योंकि कई दल सरकार का हिस्सा होते हैं।

गठबंधन सरकार की खामियाँ

1. गठबंधन सरकार वास्तव में कम लोकतांत्रिक है क्योंकि सत्ता का संतुलन अनिवार्य रूप से छोटे दलों के पास होता है जो गठबंधन के भीतर मुख्य समूहों से रियायतों के लिए समर्थन का लेन-देन कर सकते हैं।
2. नीतिगत मुद्दों पर गठबंधन के बीच मतभेद के कारण नीतिगत पक्षाघात होता है।
3. गठबंधन की संचालन समिति के रूप में संसदीय प्रणाली को कमजोर कर 'सुपर कैबिनेट' के रूप में कार्य करता है
4. राजनीतिक अवसरवाद से खरीद-फरोख्त होती है और इस तरह भ्रष्टाचार बढ़ता है।
5. दबाव की रणनीति के रूप में गठबंधन की प्रवृत्ति के रूप में पीएम की संस्था को कमजोर करना। उदाहरण के लिए यूपीए-2
6. यह देश के राष्ट्रीय हित को प्रभावित कर सकता है और यह एक स्वस्थ गठबंधन संस्कृति नहीं है।

बिहार में गठबंधन सरकार की भूमिका

1. चूंकि बिहार जैसे विशाल विविधता वाले राज्य में गठबंधन टाला नहीं जा सकता है, जहां पहचान की राजनीति के आधार पर विभिन्न दलों का उदय हुआ है। उदाहरण के लिए राजद, जदयू, रालोसपा, हम, वीआईपी आदि।
2. बिहार में गठबंधन की राजनीति की शुरुआत 1970 के दशक में हुई जब पहली गठबंधन सरकार (जनता पार्टी सरकार) बनी।
3. 21वीं सदी में, बिहार में गठबंधन की राजनीति अधिक प्रचलित हो गई क्योंकि कोई भी दल कार्यशील बहुमत हासिल करने में सक्षम नहीं था।
4. 2005 में, राजनीतिक अस्थिरता थी क्योंकि खंडित जनादेश के कारण दो बार विधानसभा चुनाव हुए थे। अंत में नीतीश कुमार के नेतृत्व में एनडीए (जेडीयू+बीजेपी) सत्ता में आई।

5. 2010, विधानसभा चुनाव लड़ा गया था जहां एनडीए (बीजेपी + जेडीयू), राजद व एलजेपी, यूपीए (आईएनसी) लड़ रहे थे। श्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में एनडीए सत्ता में आई।
6. बिहार में इस गठबंधन की राजनीति ने 2015 के विधानसभा चुनाव में बड़ा मोड़ लिया जहां महागठबंधन (राजद + जदयू + कांग्रेस) ने एनडीए के खिलाफ सत्ता में मतदान किया। लेकिन दो साल में, एक ही मुख्यमंत्री के साथ एक राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन सत्ता में था।
7. मौजूदा विधानसभा चुनाव में, फिर से गठबंधन की राजनीति ने अपनी भूमिका निभाई लेकिन गठबंधनों को स्थानांतरित करने के साथ। एनडीए (बीजेपी+जेडीयू+वीआईपी+हम) को महागठबंधन (आरजेडी+काँग्रेस+ सीपीआईएमएल +सीपीआईसीएम) + सीपीआई के खिलाफ सत्ता में वोट किया गया ।

तो यह कहा जा सकता है कि भारत जैसे देश और बिहार जैसे विशाल विविधता वाले राज्य में गठबंधन टालने योग्य नहीं है। गठबंधन अपने आप में बुरा नहीं है, गठबंधन लोकतंत्र को अधिक प्रतिनिधिक, सहयोगी बनाता है। गठबंधन को दलबदल विरोधी कानून (द्वितीय एआरसी) के तहत लाने जैसी चुनावी सुधारों को लाना समय की मांग है।

Q. ई-कूटनीति क्या है?ई-कूटनीति के लाभों और चुनौतियों का विश्लेषण कीजिए, भारत की हालिया ई-कूटनीति का उदाहरण भी प्रस्तुत कीजिए।

उत्तर. कूटनीति पेशेवर गतिविधि या कौशल को संदर्भित करती है जिसका उपयोग अंतरराष्ट्रीय या वैश्विक स्तर पर संबंधों को प्रबंधित एवं सशक्त करने के लिए किया जाता है

ई-कूटनीति राष्ट्रों द्वारा राजनयिक लक्ष्यों और उद्देश्यों को परिभाषित करने और स्थापित करने तथा राजनयिकों के कार्यों को कुशलतापूर्वक संपादित करने के लिए प्रौद्योगिकी का उपयोग है।

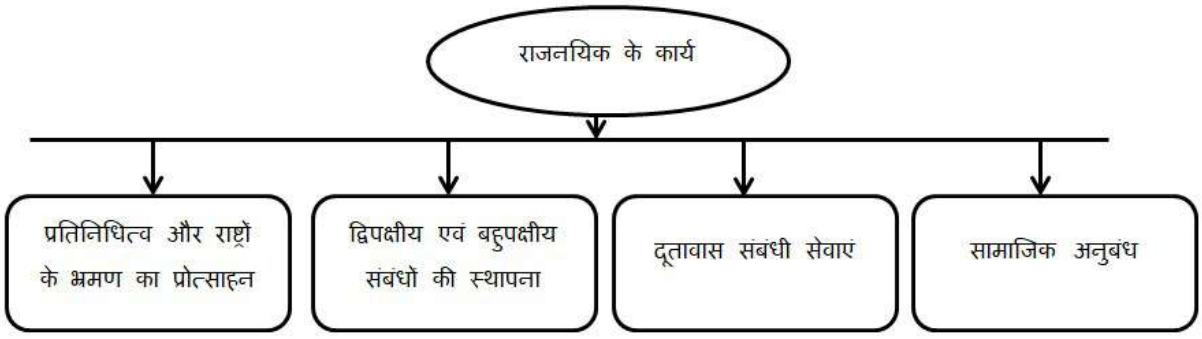

कोविड -19 द्वारा उत्पन्न खतरों ने पारंपरिक रूप से हैप्पी-हैंडिंग, बैक स्लैपिंग और पर्यटन को बढ़ावा देने वाली शिखर कूटनीति की कला को अनुकूलित करने के लिए बाध्य किया है।

ई कूटनीति का महत्व-

1. <u>अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को सशक्त बनाना:</u>
   डिजिटल कूटनीति परंपरागत कूटनीति को प्रतिस्थापित नहीं करती है, किंतु यह अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में राज्य के कार्य को शीघ्र और अधिक प्रभावी रूप से सशक्त कर सकती है
2. <u>छोटे देशों को "पंच एवव योर वेट" करने में सक्षम बनाना:</u>
   इसने कूटनीति को देशों, विशेष रूप से संक्रमण कालीन देशों के लिए विशाल अवसर प्रदान करने में सक्षम बनाया। सोशल मीडिया, ई-सेवाओं और डेटा प्लेटफॉर्म जैसे अभिनव आईसीटी उपकरणों का उपयोग करके, विदेशी सेवाएं लंबी छलांग लगा सकती हैं और अंतरराष्ट्रीय मंच पर एक व्यापम भूमिका अदा कर सकती हैं एवं इस प्रकार छोटे देशों को "अपने वजन से ऊपर पंच" करने और एक ही मंच पर अन्य सशक्त अंतरराष्ट्रीय हितधारकों के साथ समान स्थान अर्जित करने में सक्षम बनाती हैं। ।
3. <u>समय की बचत:</u>

चूंकि नेता शारीरिक रूप से कार्यक्रम स्थल या अन्य देश तक पहुंचने की आवश्यकता के बिना अपने कार्यालयों से शिखर सम्मेलन और सम्मेलनों में भाग ले सकते हैं

4. <u>अल्प वित्तीय लागत:</u>

   जैसा कि ई कूटनीति अर्थव्यवस्थाएंअपव्ययी भौतिक यात्राओं एवं कार्यक्रम प्रबंधन से बचकर आयोजन करते हैं

5. <u>दर्शकों के साथ समीपता:</u>

   सोशल मीडिया राजनयिकों को घटनाओं का निरीक्षण करने, सूचना एकत्रित करने, और प्रमुख प्रभावकों की पहचान करने में सक्षम बनाता है।। वे पारंपरिक दर्शकों से परे प्रभावित करने के लिए माध्यम भी प्रदान करते हैं। वे परामर्श प्रक्रिया, नीति निर्माण और विचारों को साझा करने में सहायता कर सकते हैं।

ई-कूटनीति की चुनौतियाँ:-

1. <u>गुमनामी की संस्कृति:</u>

   क्योंकि कोई भी किसी भी छवि, पते को अपना सकता है या यहां तक कि किसी पर भी हमला कर सकता है। कोई भी किसी और की नकल या कोई अन्य होने का ढोंग कर सकता है, या सक्रिय रूप से शरारत करने की कोशिश कर सकता है

2. <u>साइबर सुरक्षा केलिए खतरा:</u>

   आभासी शिखर सम्मेलन के लिए एक और खतरा साइबर सुरक्षा से उत्पन्न होता है। ई-कूटनीति जोखिम भरा है और वर्गीकृत सामग्री की हैकिंग का विषय हो सकता है, जो नेताओं को संदेश शील बनाता है।

3. <u>इंटरनेट और सोशल मीडिया के उपयोग के बारे में जानकारी का अभाव:</u>

नवीन संचार तकनीकों, इंटरनेट और सोशल मीडिया का उपयोग करने के बारे में ज्ञान के अभाव के परिणामस्वरूप भयावह परिणाम, गंभीर संघर्ष यहां तक कि राजनेताओं की बर्खास्तगी भी हो सकते हैं। डिजिटल युग के जोखिम को पूरा करने का तात्पर्य है कि विदेशी मंत्रालयों को डिजिटल संचार साधनों का उपयोग करने के लिए राजनयिकों से अधिक प्रशिक्षित करने की आवश्यकता है।

4. विदेश नीति के लिए एक महत्वपूर्ण चुनौती है क्योंकि सरकारें प्रायः स्वयं को त्रुटिपूर्ण सूचना और दुष्प्रचार अभियानों के मध्य में पाती हैं, जिन्हें आभासी विश्व द्वारा प्रदान की जाने वाली पहुंच के स्थान एवं मात्रा को देखते हुए भंडाफोड़ करना और खंडन करना कठिन होता है।
5. ई-कूटनीति के कम उत्पादक होने की संभावना है क्योंकि ऑनलाइन शिखर सम्मेलन व्यापक राजनीतिक लक्ष्यों और बड़े उद्देश्यों को पूरा नहीं करेगा जिन्हें राज्यों के प्रमुख अपने साथ रखते हैं।

भारत की हालिया ई-कूटनीति के उदाहरण:-

1. भारत-ऑस्ट्रेलिया नेतृत्व आभासी शिखर सम्मेलन
2. सार्क नेताओं की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग
3. जी-20 नेताओं का असाधारण शिखर सम्मेलन
4. गुटनिरपेक्ष आंदोलन आभासी शिखर सम्मेलन
5. भारत-ब्रिटेन आभासी शिखर सम्मेलन
6. भारत-यूरोपीय संघ आभासी शिखर सम्मेलन

जबकि आज कूटनीति शारीरिक दूरी की आवश्यकता से सीमित है, आभासी कूटनीति ने देशों के मध्य निर्बाध संचार और सूचना प्रवाह को सक्षम किया है। किंतु, यह सत्य है कि आभासी कूटनीति

पारंपरिक कूटनीति का स्थान नहीं ग्रहण कर सकती एवं आने वाले वर्षों में दोनों एक-दूसरे की पूरक भूमिका निभाएंगे।

प्र.- डीपीएसपी (DPSP) क्या होता है? डीपीएसपी (DPSP) की विशेषताओं की चर्चा करें और मौलिक अधिकारों और डीपीएसपी के बीच के द्वंद्व को कैसे सुलझाया गया? इस डीपीएसपी को बिहार में कैसे लागू किया गया?

उत्तर- राज्य के नीति निदेशक तत्वों (DPSP) का उल्लेख भारतीय संविधान के भाग IV में अनुच्छेद 36 से 51 तक किया गया है। डीपीएसपी आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं।

डीपीएसपी उन आदर्शों को दर्शाता है जिन्हें नीतियां और कानून बनाते समय राज्य को ध्यान में रखना चाहिए। ये विधायी कार्यकारी और प्रशासनिक मामलों में राज्य को संवैधानिक निर्देश या सिफारिशें होते हैं। इन सिद्धांतों का उद्देश्य लोगों को सामाजिक आर्थिक न्याय सुनिश्चित करना और भारत को एक कल्याणकारी राज्य के रूप में स्थापित करना है।

डीपीएसपी की विशेषताएं:-

1. यह उन आदर्शों को दर्शाता है जिसे नीतियां और कानून बनाते समय राज्य को ध्यान में रखना चाहिए।
2. डीपीएसपी 1935 के भारत सरकार अधिनियम में उल्लिखित 'निर्देशों का साधन' जैसा दिखता है जो गवर्नर-जनरल के लिए जारी किए गए थें।
3. यह एक आधुनिक लोकतांत्रिक राज्य के लिए एक बहुत व्यापक आर्थिक, सामाजिक राजनीतिक कार्यक्रम का गठन करता है जिसका उद्देश्य संविधान की प्रस्तावना में उल्लिखित न्याय, स्वतंत्रता, समानता और भाईचारे के उच्च आदर्शों को साकार करना था।
4. वे प्रकृति में गैर-न्यायिक हैं, जिसका अर्थ है कि वे अदालतों द्वारा उनके उल्लंघन के लिए कानूनी रूप से लागू करने योग्य नहीं होते हैं।
5. हालांकि प्रकृति में गैर-न्यायिक, डीपीएसपी, कानून की संवैधानिक वैधता की जांच और निर्धारण करने में अदालतों की मदद करता है।

सवाल यह है कि क्या मौलिक अधिकार डीपीएसपी से पहले आते हैं या बाद वाले को पूर्व की तुलना में प्राथमिकता दी जाती है, यह वर्षों से बहस का विषय रहा है। मौलिक अधिकार और डीपीएसपी के बीच यह द्वंद्व न्यायिक घोषणा द्वारा सुलझाया जाता है।

1. **चंपकम दोरैराजन बनाम मद्रास राज्य (1951):** शीर्ष अदालत का विचार था कि यदि कोई कानून मौलिक अधिकार का उल्लंघन करता है, तो यह निष्प्रभावी होगा लेकिन डीपीएसपी के साथ ऐसा नहीं है।
2. **गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य (1967):**
   इस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया कि डीपीएसपी के कार्यान्वयन के लिए भी संसद द्वारा मौलिक अधिकार में संशोधन नहीं किया जा सकता है
3. 25वें संशोधन अधिनियम में एक नया अनुच्छेद 31 (सी) इस प्रावधान के तहत रखा है कि अनुच्छेद 39 (बी) और 39 (ग) में समाजवादी डीपीएसपी को लागू करने का प्रयास करने वाला कोई भी कानून अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 19 और अनुच्छेद 31 द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकारों के उल्लंघन के आधार पर निष्प्रभावी नहीं होगा ।

4. 42वें संशोधन अधिनियम ने किसी भी डीपीएसपी को लागू करने के लिए किसी भी कानून को अपने संरक्षण में शामिल करके न सिर्फ अनुच्छेद 39 (बी) और 39 (सी) में निर्दिष्ट किए गए को बल्कि अनुच्छेद 31सी के दायरे को बढ़ाया है।
5. **केशवानंद भारती मामला (1973):**
6. सुप्रीम कोर्ट ने गोलकनाथ के फैसले को खारिज कर दिया और घोषणा की कि संसद संविधान के किसी भी हिस्से में संशोधन कर सकती है लेकिन यह अपने मूल ढांचे को नहीं बदल सकती है।
7. **मिनर्वा मिल्स मामला (1980):**
   सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को दोहराया कि संसद संविधान के किसी भी हिस्से में संशोधन कर सकती है लेकिन वह संविधान के 'मूल ढांचे' को नहीं बदल सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी माना कि भारतीय संविधान मौलिक अधिकार और निदेशक तत्वों के बीच संतुलन के मूल सिद्धांत पर स्थापित है।

बिहार में डीपीएसपी का कार्यान्वयन:

1. बिहार में पूर्ण शराबबंदी अनुच्छेद 47 के तहत निदेशक सिद्धांतों के अनुसार लागू होता है।
2. सभी इंजीनियरिंग और मेडिकल कॉलेजों में प्रवेश के लिए सभी सार्वजनिक सेवा नौकरियों में 35% आरक्षण और महिलाओं के लिए 33% आरक्षण, अनुच्छेद 46 के तहत डीपीएसपी के अनुरूप है जिसमें कमजोर वर्ग के शैक्षिक और आर्थिक हितों को बढ़ावा देने का प्रावधान है।
3. उन्नत कृषि आदान, बीज, उर्वरक और सिंचाई सुविधाएं प्रदान करके कृषि का आधुनिकीकरण किया गया है। पशुपालन को आधुनिक और वैज्ञानिक आधार पर व्यवस्थित करने के लिए भी विभिन्न कदम उठाए गए हैं (अनुच्छेद 48 के प्रावधान के अनुरूप)
4. राज्य के कानून में प्राचीन स्मारकों और पुरातात्विक स्थलों के संरक्षण का प्रावधान है, जो अनुच्छेद 49 के प्रावधान के अनुरूप है जो स्मारकों और स्थानों की सुरक्षा प्रदान करता है।
5. भूमि सुधार, श्रम सुधार, जमींदारी और जागीरदारी, इनामदार आदि के उन्मूलन के लिए कानून।
6. 'जल-जीवन-हरियाली अभियान' कार्यक्रम का उद्देश्य पर्यावरण की रक्षा करना और बिहार में लोगों के जीवन पर जलवायु परिवर्तन के बुरे प्रभाव को न्युन करना है (अनुच्छेद 48ए)।

7. बिहार सरकार ने लक्ष्मीबाई पेंशन योजना का लाभ उठाने में मदद करके कोविड-19 विधवाओं को राहत प्रदान करने की प्रक्रिया में तेजी लाई है। इसी प्रकार 60 वर्ष से अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिकों को सामाजिक सुरक्षा पेंशन लागू है।

केंद्र और राज्य सरकार द्वारा उपरोक्त कदमों के बावजूद, अपर्याप्त वित्तीय संसाधनों के प्रतिकूल सामाजिक-आर्थिक परिस्थितियाँ, जनसंख्या विस्फोट जैसे कई कारणों से निदेशक तत्वों को पूरी तरह से और प्रभावी ढंग से लागू नहीं किया जा सका है। डीपीएसपी को प्रभावी ढंग से लागू करना और सामाजिक आर्थिक न्याय को वास्तविकता में लाना समय की मांग है।

प्रश्न. प्रपीड़क जनसंख्या नियंत्रण नीतियों के मुद्दों पर चर्चा कीजिए। बिहार की उच्च कुल प्रजनन दर के कारण का भी विश्लेषण कीजिए

उत्तर: हाल ही में, दो भारतीय राज्य सरकारे, उत्तर प्रदेश और असम ने प्रपीड़क जनसंख्या नियंत्रण उपायों की वकालत की है। यह प्रस्ताव राज्य सरकार के लाभों के प्रलोभन के लिए दो बच्चों की नीति अपनाने से संबंधित है।

किंतु, अनेक विशेषज्ञों की राय है कि उनके प्रपीड़क जनसंख्या नियंत्रण के उपाय प्रभावी नहीं भी हो सकते हैं।

प्रपीड़क जनसंख्या नियंत्रण नीतियों से संबंधित मुद्दे:-

1. **सामाजिक लागत**

   निर्धारित संख्या से अधिक बच्चों वाले परिवार को समस्त सरकारी सहायता और सब्सिडी को रोकने के रूप में प्रतिबंधों की सामाजिक लागत अत्यधिक है। चूंकि अधिकांश जनसंख्या कल्याणकारी उपायों और संवैधानिक अधिकारों का लाभ प्राप्त करने से वंचित रह जाएगी।

2. **महिला दुर्व्यवहार**

   प्रतिबंधात्मक जनसंख्या नीति का महिलाओं पर अत्यधिक प्रभाव पड़ता है क्योंकि यह अनेक महिलाओं को बलात बंध्याकरण अथवा गर्भपात की ओर अग्रसर करेगा।

3. **विषम लिंगानुपात**

   पुत्र - अधिमानी वरीयता (आर्थिक सर्वेक्षण 2018) ग्रामीण और शहरी भारत में अच्छी तरह से प्रलेखित है। दो बच्चों के लिए कानूनी प्रतिबंध युगलों को लिंग-चयनात्मक गर्भपात के लिए बाध्य कर सकता है।

4. **आर्थिक लागत**

   जैसे-जैसे प्रजनन दर में कमी आना प्रारंभ होता है। यह प्रतिस्थापन स्तर प्रजनन दर 2.1 से नीचे होगा। प्रतिबंधात्मक जनसंख्या नीतियों के लिए प्रजनन दर को कम करने पर नियंत्रण रखना कठिन है। ह्रासमान जनसंख्या आर्थिक विकास को बाधित करेगी।

5. **नैतिक मुद्दा**

   जनसंख्या को नियंत्रित करने के लिए प्रतिबंधात्मक नीतियां निर्मित करना नैतिक नहीं है। इसका असर महिलाओं के प्रजनन अधिकारों पर पड़ता है। यह एक अनैतिक रूप से संपन्न दुल्हन व्यवसाय को प्रोत्साहित करेगा। यह अनैतिक गर्भपात प्रथाओं को बढ़ावा देगा और पूर्व लिंग निर्धारण की ओर अग्रसर करेगा।

6. **अंतरराष्ट्रीय अनुभव**

दो बच्चों की प्रतिबंधात्मक नीति के पश्चात वृद्धों की जनसंख्या में बढ़ोतरी, चीन ने अपनी दो बच्चों की नीति में शिथिलता प्रदान की और प्रति विवाहित युगलों में तीन बच्चों की अनुमति दी।

राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण-V (एनएफएचएस-V) के अनुसार बिहार की कुल प्रजनन दर 3.0 है जो कि 2% की प्रतिस्थापन दर से बहुत अधिक है

<u>अत्यधिक प्रजनन दर का कारण :-</u>

1. **<u>बाल विवाह</u>**

बाल विवाह पर कानूनी प्रतिबंध होने के बावजूद भी बिहार में बाल विवाह अभी भी प्रचलित है।

उदाहरण के लिए राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण-V (2019-20) के अनुसार, 20-24 वर्ष की आयु की 40% महिलाओं की शादी 18 वर्ष की आयु से पूर्व ही कर दी जाती है।

2. **<u>उच्च निरक्षरता दर</u>**

2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की साक्षरता दर भारत के सभी राज्यों में सबसे कम है। बिहार की कुल साक्षरता दर 63.82% है। जहां सिर्फ 53.33 प्रतिशत महिलाएं ही साक्षर हैं।

3. **<u>पुत्र - अधिमानीवरीयता</u>**

एनएफएचएस-4 के आंकड़ों में दावा किया गया है कि बिहार में पुत्रों की चाह सर्वाधिक है, जहां 37% महिलाओं और 30% पुरुषों ने कहा कि वे पुत्रियों की तुलना में अधिक पुत्र चाहते हैं। इसके फलस्वरूप, माता-पिता तब तक संतान उत्पन्न करते रहते हैं जब तक कि उनका एक पुत्र न हो। आर्थिक सर्वेक्षण 2018 के अनुसार, बिहार में अंतिम जन्म के बच्चे का लिंगानुपात पुरुष के प्रति अत्यधिक विषम पाया गया, जो इस महिला विरोधी पूर्वाग्रह की पुष्टि करता है। इन सभी कारकों ने मिलकर राज्य में ऐतिहासिक रूप से उच्च टीएफआर की ओर अग्रसर किया है।

4. **<u>निर्धनता और जनसंख्या दुष्चक्र</u>**

बिहार की प्रति व्यक्ति आय देश में न्यूनतम है जोकि 2019-20 में 33000 रुपए प्रति व्यक्ति वार्षिक आय थी ।

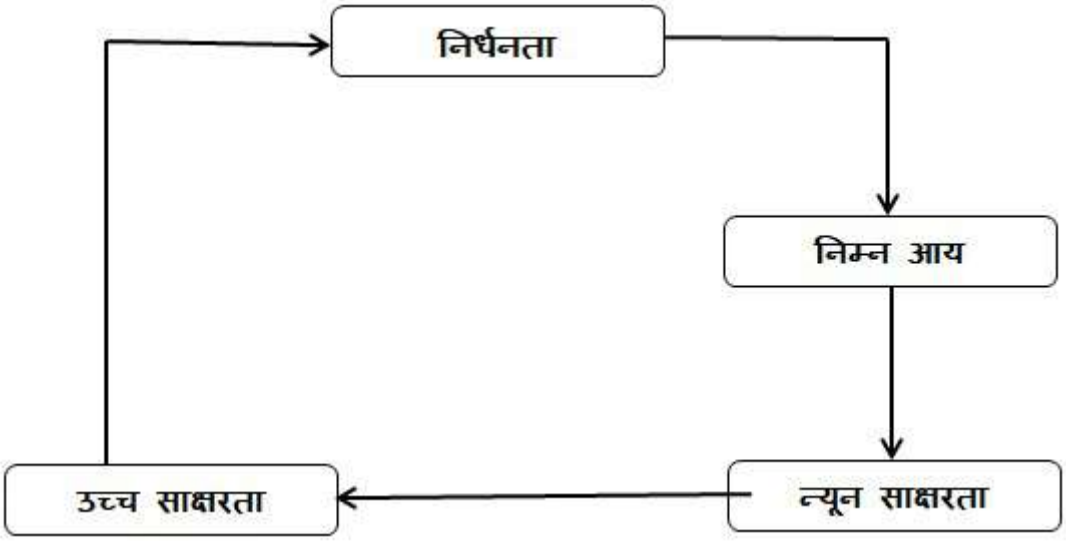

बिहार में निर्धनता ने कम आय की ओर अग्रसर किया है जो न्यून साक्षरता दर की ओर ले जाती है जिसके परिणामस्वरूप उच्च प्रजनन दर होती है और उच्च प्रजनन दर बिहार में निर्धनता को स्थायी बनाए रखती है।

संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या अनुमानों के अनुसार, भारत की जनसंख्या में 2021 और 2031 के मध्य 1.09 के गुणक से वृद्धि होगी। समय की आवश्यकता है कि साक्षरता दर (विशेषकर बालिकाओं की) में वृद्धि, निर्धनता उन्मूलन और स्वास्थ्य सेवाओं की पहुंच बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित किया जाए। भारत को प्रतिबंधात्मक और प्रपीड़क नीतियों पर ध्यान केंद्रित करने के बजाय अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त सिद्धांत 'विकास सबसे उत्तम गर्भनिरोधक' पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए।

Q. स्वतंत्रता के पश्चात से कृषि में उत्पादन और उत्पादकता प्रवृत्तियों का मूल्यांकन कीजिए। बिहार में कृषि उत्पादन और उत्पादकता बढ़ाने के लिए कौन से व्यावहारिक उपाय अपनाए जाने चाहिए?

उत्तर. स्वतंत्रता के 7 दशकों के पश्चात, कुल राष्ट्रीय आय में कृषि का हिस्सा 1950 में इतने प्रतिशत से घटकर वर्तमान में लगभग 17% हो गया: किंतु आज भी भारत का 45.7% से अधिक कार्यबल कृषि में कार्यरत है।

हालांकि भारतीय कृषि उत्पादकता वृद्धि विगत 30 वर्षों में लगभग 3% की औसत से रुद्ध रही है।

स्वतंत्रता के पश्चात से कृषि में उत्पादन और उत्पादकता की प्रवृत्तियां:-

1. **1949-50 से 1964-65 तक उत्पादन और उत्पादकता में वृद्धि (हरित क्रांति से पूर्व की अवधि):-**

   यह देखा गया कि इस अवधि के दौरान उत्पादन में वृद्धि अधिकांशत: कृषि के अंतर्गत क्षेत्र में वृद्धि से प्रेरित थी। 1950 से 1964-65 तक खाद्यान्न के उत्पादन और उत्पादकता में वृद्धि क्रमशः 2.90% और 1.40% थी। 1949-50 में प्रति हेक्टेयर औसत उपज 5.5 क्विंटल की तुलना में 1964-65 में से 7.6 क्विंटल थी।

2. **आरंभिक-हरित क्रांति अवधि(1967-68 से 1979-80):-**

   यद्यपि, हरित क्रांति की आरंभिक अवधि में कृषि उत्पादन की वृद्धि दर प्रभावशाली नहीं थी और प्रारंभिक योजना वर्षों की तुलना में कम थी। खाद्यान्नों के उत्पादन और उत्पादकता में वृद्धि क्रमशः 2.19% और 1.75% थी।

3. **उत्तर(पश्चातवर्ती) हरित क्रांति अवधि (1980-81 से 1989-90):-**

   1980-81 के पश्चात भारतीय कृषि में कायापलट हो गया। इस चरण के दौरान उत्पादन में वृद्धि मुख्य रूप से आधुनिक कृषि तकनीकों के साथ-साथ संकर बीजों को अपनाने, सिंचाई सुविधाओं के विस्तार और गहन कृषि पद्धतियों के उपयोग के कारण उत्पादकता में वृद्धि से प्रेरित थी। 1980-81 से 1989-90 तक खाद्यान्न की उत्पादकता में वृद्धि 1.75% थी। खाद्यान्न का उत्पादन 1964-65 में 89 मिलियन टन से तीव्र वृद्धि कर 1989-90 में 176 मिलियन टन हो गया।

4. **उदारीकरण के पश्चात:-**

सुधार के बाद की अवधि अधिकांश राज्यों में कृषि उपज की वृद्धि दर के साथ-साथ कुल कृषि उत्पादन में कमी के रूप में अभिलक्षित है। अखिल भारतीय स्तर पर, 1980-83 से 1990-93 के दौरान 3.37% प्रतिवर्ष की वृद्धि दर की तुलना में 1990-93 से 2003-06 के दौरान उत्पादन वृद्धि घटकर1.74%प्रतिवर्षहोगई।

5. **वर्तमान परिदृश्य:-**

भारतीय कृषि उत्पादकता वृद्धि लगभग 3% के औसत से स्थिर रही है। भारत का खाद्यान्न उत्पादन 2020-21 फसल वर्ष में 2% बढ़कर 303.34 मिलियन टन के सर्वकालिक उच्च स्तर पर पहुंचने का अनुमान है। यद्यपि स्वतंत्रता के पश्चात से भारत की प्रति हेक्टेयर उत्पादकता में वृद्धि हुई है किंतु अभी भी संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन, ओईसीडी देशों से काफी नीचे है। ।

वर्ष	उत्पादन	**उत्पादकता** (प्रति हेक्टेयर उत्पादन)
1949-50	55 मिलियन टन	**5.5** क्विंटल
1964-65	89 मिलियन टन	7.6 क्विंटल
2008-65	233.9 मिलियन टन	18.98 क्विंटल

कृषि राज्य की अर्थव्यवस्था के समग्र विकास की कुंजी है। कृषि बिहार की अर्थव्यवस्था की रीढ़ है जो 77% कार्यबल को क्रियाशील करती है और राज्य के घरेलू उत्पाद का लगभग 24.84% उत्पादन करती है। यद्यपि राज्य ने खाद्यान्न उत्पादन में आत्मनिर्भरता प्राप्त कर ली है, बिहार अभी भी उत्पादकता और उत्पादन के मामले में राष्ट्रीय औसत की तुलना में पीछे है। बिहार में उत्पादन और उत्पादकता बढ़ाने के उपायों की आवश्यकता है।

1. **समेकित भूमि जोत:-**

बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2019-20 के अनुसार, छोटी और सीमांत भूमि जो 2 हेक्टेयर से कम है,बिहार में लगभग 97%भूमि जोत के लिए उत्तरदायी है। यह बिहार में उच्च उत्पादकता और उत्पादन की दिशा में उठाया गया बड़ा कदम है।

2. **जल प्रबंधन:-**

बिहार एक ही समय में बाढ़ और सूखे का साक्षी बनता है। इसलिए जल का कुप्रबंधन बिहार में कृषि की कम उत्पादकता का एक प्रमुख कारण बन गया है।

3. **आईसीटी का प्रयोग:-**

आईसीटी सक्षम विस्तार सेवाएं, जो उत्पादन में सुधार के लिए कृषकों को शोध, प्रौद्योगिकी और अनुभव को लेकर कृषि गतिविधियों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। सूचना प्रौद्योगिकी, सुदूर संवेदन, मौसम पूर्वानुमान क्रियाएं जैसी विभिन्न तकनीकों का व्यापक उपयोग उत्पादकता वृद्धि की अपेक्षा कर सकता है।

4. **मृदा और बीज:-**

हालांकि बिहार की मृदा सर्वाधिक सबसे उपजाऊ मृदाओं में से एक है, किंतु हाल ही में मृदा की उर्वरता में कमी एक साभिप्राय चिंता का विषय बन गई है। मृदा स्वास्थ्य में सुधार और प्रमाणित बीजों की उपलब्धता पर विचार करने से उत्पादकता में सुधार के उपायों में सहायता मिल सकती है।

5. **कृषि बाजार प्रणाली में संरचनात्मक और संस्थागत सुधार।**

6. **जलवायु परिवर्तन शमन उपाय:-**

जलवायु परिवर्तन ने कृषि और संबद्ध क्षेत्र पर गंभीर प्रभाव डाला है। इसका मुकाबला करने के लिए बिहार सरकार ने 60 करोड़ के बजट के साथ राज्य के 8 सर्वाधिक प्रभावित जिलों में 'जलवायु स्मार्ट कृषि' की शुरुआत की है।

7. **कृषि बीमा:-**

बिहार सरकार ने कृषि क्षेत्र के लिए पृथक रूप से एक बीमा योजना भी प्रारंभ की है। इससे कृषकों को अधिक कृषि गतिविधियों को संपादित करने में सहायता मिलेगी। कृषकों की आय में सुधार के साथ-साथ खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कृषि उत्पादकता और उत्पादन में सुधार आवश्यक है। इससे एसडीजी लक्ष्य 1 और 2 प्राप्त करने में सहायता मिलेगी

Q. बिहार में बाढ़ प्रबंधन का समालोचनात्मक विश्लेषण कीजिए?एनडीएमए 2005 का क्रियान्वयन बिहार में कितना प्रभावी है? बिहार सरकार द्वारा उठाए गए कुछ उपाय बताएं।

उत्तर:- बाढ़ के लिए अतिसंवेदनशील भूमि के प्रतिशत के मामले में बिहार देश में सर्वाधिक बाढ़ प्रवण राज्य है। राज्य का कुल बाढ़ प्रवण क्षेत्र लगभग 68.80 लाख हेक्टेयर है जो इसके कुल भौगोलिक क्षेत्र का 73.06 प्रतिशत और देश में कुल बाढ़ प्रवण क्षेत्र का 17.2 प्रतिशत है।

बिहार में बाढ़ का शमन और प्रबंधन

(1) बाढ़ सुरक्षा तटबंधों का निर्माण

पिछले 70 वर्षों के योजना विकास काल में, बिहार युक्तियुक्त बाढ़ सुरक्षा लाभ प्रदान करने में सक्षम रहा है। एक अनुमान के अनुसार। इसके बाढ़ संभावित क्षेत्र का 55% से अधिक बाढ़ सुरक्षा तटबंधों के माध्यम से आच्छादित किया गया है। (2017 तक लगभग 5287 किलोमीटर)।

(2) अपवाह

बिहार में बाढ़ प्रवण क्षेत्रों का एक बड़ा हिस्सा सतही जलाधिक्य और जलप्लावन की समस्या से ग्रस्त है। अस्सी के दशक के आरंभ में अनेक जल निकासी (अपवाह) योजनाओं को डिजाइन और क्रियान्वित किया गया था, लेकिन उसके पश्चात धन के अभाव के कारण जल निकासी योजनाओं के कार्य में लगभग ठहराव की स्थिति रही है।

(3) बाढ़ रोधी और मृदा अपरदन परियोजनाओं

तटबंधों की सुरक्षा, मृदा अपरदन को रोकने और गांवों और फसली भूमि को बाढ़ के पानी से जल प्लावन से बचाने पर बल देने के साथ उन्हें साल दर साल शुरू किया जाता है। जैसे जल संसाधन विभाग का बाढ़ नियंत्रण संभाग नदियों के कारण होने वाले मृदा अपरदन को रोकता हैं और 2019 तक 3,700 किमी से अधिक तटबंध की सुरक्षा की है।

(4) जल संरक्षण और नदियों को जोड़ने पर बल

बिहार बाढ़ प्रबंधन के प्रमुख मुद्दों में से एक, जल का कुप्रबंधन है तथा नदियों को आपस में जोड़ना सही दिशा में उचित कदम है। उदाहरण के लिए, सकरी-नाटा नदी को जोड़ने की परियोजना।

(5) कमांड क्षेत्र विकास कार्यक्रम

इसे सात प्रमुख सिंचाई परियोजनाओं के कमांड क्षेत्र में आरंभ किया गया है। इस कार्यक्रम के अंतर्गत मार्च 2002 तक 14.39 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में नहरें, 2.01 हजार हेक्टेयर क्षेत्र में नालियां उपलब्ध कराई गईं।

यद्यपि, ऐसे उपायों के बावजूद बिहार बाढ़ प्रबंधन प्रभावी नहीं है।

(1) मोटे तौर पर बिहार में बाढ़ प्रबंधन का केंद्र बिंदु तटबंधों का निर्माण रहा है और उन महत्वपूर्ण वास्तविकताओं की अनदेखी कर रहा है जो तटबंध एक नदी के अपवाह (जल निकासी) कार्य में हस्तक्षेपकरता है।

(2) एनडीएमए, एसडीएमए जैसी विभिन्न एजेंसियों के मध्य समन्वय की कमी ने प्रतिक्रिया अवधि के दौरान भ्रम उत्पन्न किया है।

(3) वित्त पोषण की कमी और विभिन्न परियोजनाओं के पूर्ण होने में विलंब ने बिहार में बाढ़ प्रबंधन को अप्रभावी बना दिया है।

(4) दुर्भाग्य से, हमारी संपूर्ण बाढ़ संबंधी शमन और तत्परता जलप्लावन और अपरदन केंद्रित रही है। नदियों से गाद निकालने के उपाय करने के लिए विपुल धनराशि एवं प्रौद्योगिकी की आवश्यकता है।

बिहार में एनडीएमए अधिनियम 2005 का कार्यान्वयन

(1) राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (एसडीएमए) की स्थापना,मुख्यमंत्री के अध्यक्ष के रूप में, मुख्य सचिव और तीन अन्य की सदस्यों के रूप में की गई है।

(2) एसडीएमए ने एक सलाहकार समिति का गठन किया है, जिसमें आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में विशेषज्ञ शामिल हैं और आपदा प्रबंधन के विभिन्न पहलुओं पर संस्तुतियों के लिए आपदा प्रबंधन का व्यावहारिक अनुभव प्राप्त हो।

(3) राज्य प्राधिकरण (एसडीएमए) को अपने कार्यों के निष्पादन में सहायता करने हेतु एक राज्य कार्यकारिणी समिति का गठन किया गया है।

(4) बिहार के लिए आपदा प्रबंधन हेतु राज्य कार्यकारिणी समिति ने योजना (राज्य आपदा प्रबंधन योजना) तैयार की है।

(5) बिहार राज्य सरकार ने प्रत्येक जिले के लिए जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (डीडीएमए) का गठन किया है, जिसमें जिलाधिकारी पदेन अध्यक्ष हैं।

(6) जिला आपदा प्रबंधन योजना के लिए जिला प्राधिकरण नेएक योजना तैयार की है।

(7) बिहार राज्य आपदा प्रबंधन संस्थान (बीएसआईडीएम) को संकटों के प्रति अपेक्षित समझ विकसित करने, सूचना और ज्ञान एकत्रित करने, प्रौद्योगिकी के अभिनिर्धारण और प्रवर्तन हेतु व्यवस्था में सम्मिलित किया गया है।

यद्यपि राज्य ने एनडीएमए अधिनियम 2005 के अनुरूप प्राधिकरण और संगठन का गठन किया है, किंतु विभिन्न प्राधिकरणों के मध्य समन्वय का अभाव है जिसके परिणामस्वरूप राज्य में आपदा की गंभीरता में वृद्धि हुई है।

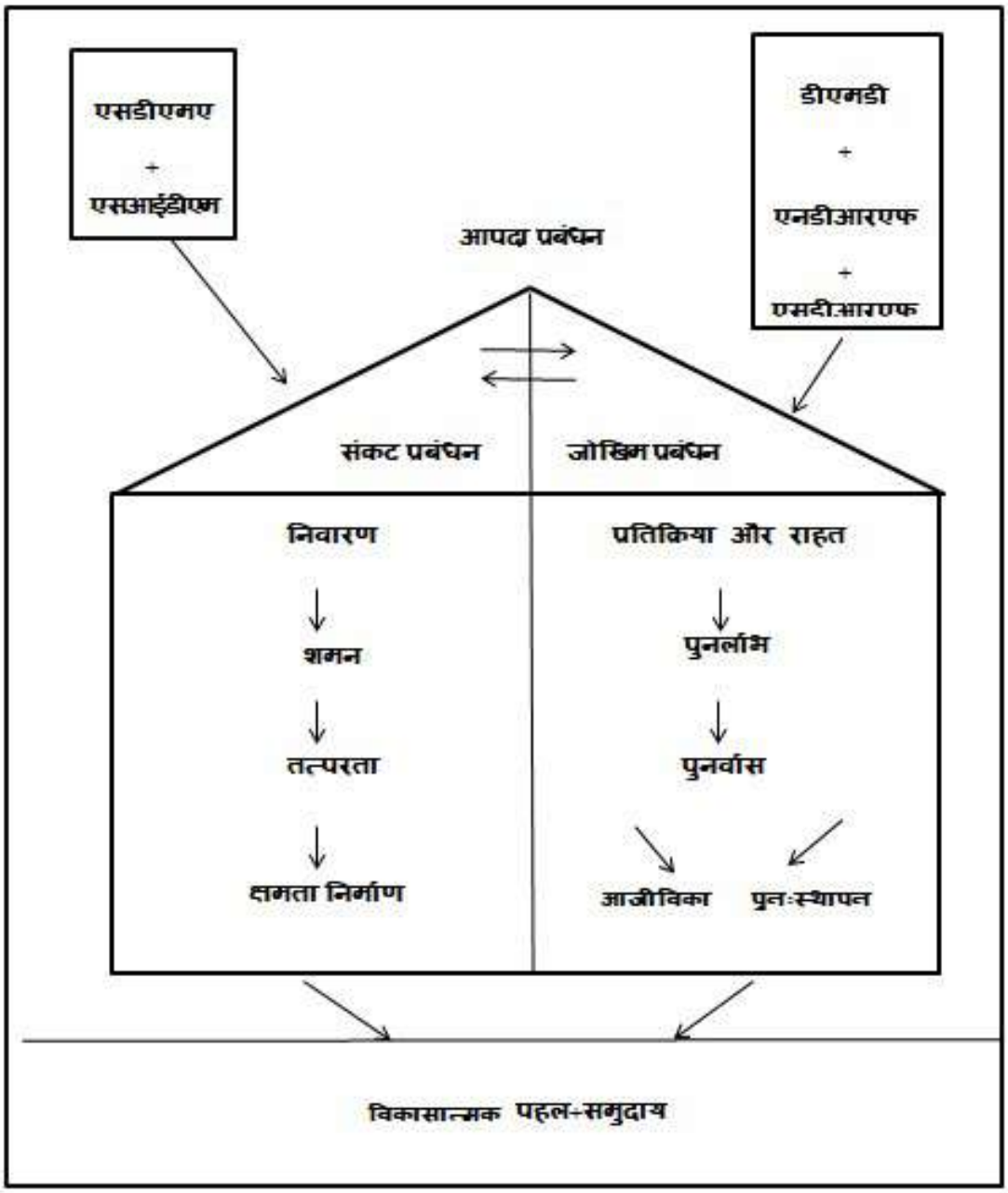

बिहार सरकार द्वारा किए गए उपाय

(1) बिहार बाढ़ से निपटने के लिए मुख्य रूप से संरचनात्मक उपाय जैसे कि तटबंधों का निर्माण, चैनल सुधार और तटबंध संरक्षण कार्य संपादित कर रहा है ।

(2) बाढ़ के पूर्वानुमान के लिए न्यूनतम 72 पूर्व पहले उन्नत तकनीक का उपयोग करना। 'गणितीय प्रतिरूप प्रणाली' नेपाल में प्राप्त बारिश का आकलन करती है और उस अवधि का अनुमान लगाती है जब तक बाढ़ का पानी उत्तरी बिहार के मैदानी क्षेत्रों में पहुंच जाएगा।

(3) बजट 2020-21 में बिहार सरकार ने सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण के लिए विगत वर्ष की तुलना में 6% अधिक बजट अर्थात 400 करोड़ रुपए आवंटित किया है।

(4) बिहार राज्य सरकार ने एनडीआरएफ की तर्ज पर बिहार राज्य आपदा मोचन बल (एसडीआरएफ) के एक बटालियन की स्थापना की है।

आगे की राह

(1) बिहार सरकार को कोसी उच्च स्तरीय समिति की सिफारिशों पर गंभीरता पूर्वक ध्यान देना चाहिए।

(2) केले के बागान के बजाय बांस या मैंग्रोव वृक्षारोपण को प्रोत्साहित करना चाहिए।

(3) बिहार को डचों के 'रूम फॉर द रिवर प्रोजेक्ट' से सीख लेनी चाहिए अर्थात नदी के प्रवाह के लिए अधिक स्थान निर्मित करना ताकि वह बाढ़ के दौरान बहुत अधिक जल स्तर का प्रबंधन कर सके।

बाढ़ वास्तव में प्राकृतिक घटना है और कोई भी उनसे पूर्ण रूप से छुटकारा पा सकता है, किंतु आपदा जोखिम में कमी पर सेंडाइ ढांचे का पालन करते हुए मानव संसाधन, उन्नत चेतावनी प्रणाली और विभिन्न नियंत्रण उपायों का उपयोग करके उचित प्रबंधन के माध्यम से उनकी आवृत्ति और प्रभाव को कम किया जा सकता है।

प्रश्न:- भारत में गठबंधन की राजनीति के उदय के मुख्य कारण क्या हैं? बिहार में गठबंधन सरकार की भूमिका की विवेचना कीजिए।

उत्तर: गठबंधन पार्टियों का एक गठजोड़ होता है जो संयुक्त रूप से चुनाव लड़ने और / या सरकार बनाने और साझा प्रक्रिया की कार्यविधि द्वारा शासन का प्रबंधन करने के उद्देश्य से बनाया गया है। तो गठबंधन का अर्थ है राजनीतिक दलों के बीच सहयोग और चुनाव, संसदीय और सरकारी स्तर पर हल्का सहयोग हो सकता है।

गठबंधन राजनीति के उदय के मुख्य कारण

1. कांग्रेस प्रणाली का पतन

   1970 के बाद से कांग्रेस प्रणाली का पतन हो रहा था अर्थात यह सभी तनावों और संघर्षों को अवशोषित करने की क्षमता खो रही थी।

2. आपातकाल की घोषणा

   1975 में आपातकाल की घोषणा ने विपक्षी दलों को इकट्ठा किया। जनता पार्टी बनी और 1977 में सत्ता में आई।

3. क्षेत्रीय दलों का उदय

   राज्यों के भाषाई पुनर्गठन, हरित क्रांति, संसदीय और राज्य विधायी चुनावों को जोड़ने से क्षेत्रीय दलों को स्थानीय मुद्दों पर लोगों को संगठित करने का अवसर मिला है।

4. विशाल विविधता

   इसने विविध राजनीतिक प्राथमिकताओं को जन्म दिया है और कोई भी दल कार्यशील बहुमत हासिल करने में सक्षम नहीं था। इससे गठबंधन युग का उदय हुआ।

5. राजनीतिक अवसरवाद और सत्ता के बंटवारे की व्यवस्था

   भारत के मामले में नकारात्मक गठबंधन का नियमित विशेषताएं रहा हैं। गठबंधन सरकार चलाने के लिए नहीं बल्कि किसी और को सत्ता में आने से रोकने के लिए बनाए गए हैं जैसे राकांपा, कांग्रेस और शिवसेना का था।

गठबंधन सरकार की विशेषता

1. एक गठबंधन सरकार निरंकुश शासन की संभावना को कम करती है। यह सरकार के कामकाज में एकल पार्टी के कम वर्चस्व के कारण होता है। गठबंधन के सभी सदस्य निर्णय में भाग लेते हैं
2. एक गठबंधन सरकार में विभिन्न राजनीतिक दल शामिल होते हैं जिनकी अपनी विचारधारा या एजेंडा होता है। लेकिन सरकार की नीति के लिए सभी गठबंधन सहयोगियों की सहमति की आवश्यकता होती है। इसलिए, एक गठबंधन सरकार सर्वसम्मति-आधारित राजनीति की ओर अग्रसर होती है।
3. गठबंधन की राजनीति भारतीय राजनीतिक व्यवस्था के संघीय ताने-बाने को मजबूत करती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि गठबंधन सरकार क्षेत्रीय मांगों के प्रति अधिक संवेदनशील और उत्तरदायी होती है।
4. गठबंधन सरकार प्रशासन में अधिक निरंतरता प्रदान करती है। राजनीति की सहमतिपूर्ण शैली भी प्रशासन के बीच नीति के अधिक क्रमिक और रचनात्मक बदलाव की अनुमति देती है
5. सरकार के कामकाज में विविध हितों का समावेश होगा क्योंकि कई दल सरकार का हिस्सा होते हैं।

गठबंधन सरकार की खामियाँ

1. गठबंधन सरकार वास्तव में कम लोकतांत्रिक है क्योंकि सत्ता का संतुलन अनिवार्य रूप से छोटे दलों के पास होता है जो गठबंधन के भीतर मुख्य समूहों से रियायतों के लिए समर्थन का लेन-देन कर सकते हैं।
2. नीतिगत मुद्दों पर गठबंधन के बीच मतभेद के कारण नीतिगत पक्षाघात होता है।
3. गठबंधन की संचालन समिति के रूप में संसदीय प्रणाली को कमजोर कर 'सुपर कैबिनेट' के रूप में कार्य करता है
4. राजनीतिक अवसरवाद से खरीद-फरोख्त होती है और इस तरह भ्रष्टाचार बढ़ता है।
5. दबाव की रणनीति के रूप में गठबंधन की प्रवृत्ति के रूप में पीएम की संस्था को कमजोर करना। उदाहरण के लिए यूपीए-2
6. यह देश के राष्ट्रीय हित को प्रभावित कर सकता है और यह एक स्वस्थ गठबंधन संस्कृति नहीं है।

बिहार में गठबंधन सरकार की भूमिका

1. चूंकि बिहार जैसे विशाल विविधता वाले राज्य में गठबंधन टाला नहीं जा सकता है, जहां पहचान की राजनीति के आधार पर विभिन्न दलों का उदय हुआ है। उदाहरण के लिए राजद, जदयू, रालोसपा, हम, वीआईपी आदि।
2. बिहार में गठबंधन की राजनीति की शुरुआत 1970 के दशक में हुई जब पहली गठबंधन सरकार (जनता पार्टी सरकार) बनी।
3. 21वीं सदी में, बिहार में गठबंधन की राजनीति अधिक प्रचलित हो गई क्योंकि कोई भी दल कार्यशील बहुमत हासिल करने में सक्षम नहीं था।
4. 2005 में, राजनीतिक अस्थिरता थी क्योंकि खंडित जनादेश के कारण दो बार विधानसभा चुनाव हुए थे। अंत में नीतीश कुमार के नेतृत्व में एनडीए (जेडीयू+बीजेपी) सत्ता में आई।
5. 2010, विधानसभा चुनाव लड़ा गया था जहां एनडीए (बीजेपी + जेडीयू), राजद व एलजेपी, यूपीए (आईएनसी) लड़ रहे थे। श्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में एनडीए सत्ता में आई।
6. बिहार में इस गठबंधन की राजनीति ने 2015 के विधानसभा चुनाव में बड़ा मोड़ लिया जहां महागठबंधन (राजद + जदयू + कांग्रेस) ने एनडीए के खिलाफ सत्ता में मतदान किया। लेकिन दो साल में, एक ही मुख्यमंत्री के साथ एक राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन सत्ता में था।
7. मौजूदा विधानसभा चुनाव में, फिर से गठबंधन की राजनीति ने अपनी भूमिका निभाई लेकिन गठबंधनों को स्थानांतरित करने के साथ। एनडीए (बीजेपी+जेडीयू+ वीआईपी+हम) को महागठबंधन (आरजेडी+काँग्रेस+सीपीआईएमएल+सीपीआईसीएम) + सीपीआई के खिलाफ सत्ता में वोट किया गया ।

तो यह कहा जा सकता है कि भारत जैसे देश और बिहार जैसे विशाल विविधता वाले राज्य में गठबंधन टालने योग्य नहीं है। गठबंधन अपने आप में बुरा नहीं है, गठबंधन लोकतंत्र को अधिक प्रतिनिधिक, सहयोगी बनाता है। गठबंधन को दलबदल विरोधी कानून (द्वितीय एआरसी) के तहत लाने जैसी चुनावी सुधारों को लाना समय की मांग है।